उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत मैनुअल (1 से 17 तक) कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।

वर्ष– 2021–22

Email ID-
caochampawat@yahoo.co.in
Phone No.- **05965-230952**

–:: प्राकथन ::–

1. सरकारी विभागो के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिटिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।

2. इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।

3. यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।

4. हस्त पुस्तिका के प्रारूप में जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्व किया जा रहा है।

5. परिभाषायें/शब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिनियम के लागू होने के बाद समय के साथ–साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरूआत में कुछ कठिनाइया आती है और समय आगें बड़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।

6. हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति का नाम – श्री गोपाल सिंह भण्डारी, मुख्य कृषि अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, जनपद चम्पावत के स्तर की सूचना के सम्बन्ध में ।

7. हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क –इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण 10.00 रूपया प्रति सूचना निर्धारित प्रपत्र पर जमा कर मांगा जा सकता है। तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने विषयक जानकारी निदेशालय स्तर से प्राप्त होने पर सूचना निर्देशिका में समायोजित की जायेगी।

–:: मैनुअल–1 ::–

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

2.1:– <u>लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्यः</u>– कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के समस्त कृषको को अनुमन्य अनुदान पर यथा– बीज, रसायन कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराना तथा साल भर खरीफ तथा रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी देना, कृषको को कृषि समबन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनिकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

2.2:– <u>लोक प्राधिकारण/संगठन का मिशन/विजनः</u>– जनपद स्तर पर कृषि कार्यो में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का

मिषन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा0 कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक जनपद बनाने का विजन है।

2.3:– लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्यः–शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशो के अनुसार जनपद में कृषि कार्यक्रमों को संचालित कर जनता और कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यक्रमों का जनता/कृषकों में प्रचार–प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्य कर कर्मचारियों के हितो की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयको का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।

2.4:– लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्यः–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरकार/विभाग द्वारा प्राप्त बजट पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसें, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यक्रम, जल संभरण, कृषक महोत्सव, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजो का वितरण आतमा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिकिट वितरण आदि कर कृषकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5:– लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका सक्षिंप्त विवरणः– कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

1–**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्राश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्वि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
2– कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन सुनिश्चित करना।
3–यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।
4–महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्वि करना।
5–कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्वि करना।

2. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2017–18 में भी संचालित है।

1– एन0एफ0एस0एम0 चावल–के अन्तर्गत 5 जनपद उधमसिंहनगर, पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ़ का चयन किया है।
2– एन0एफ0एस0एम0 गेहूँ – के अन्तर्गत 9 जनपद उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।
3– एन0एफ0एस0एम0 दलहन – के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया है।

कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश स्तर पर स्टेट फूड सिक्योरिटि मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिषन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

योजना के घटक–

1– क्लस्टर डिमान्सट्रशन– क्लस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 है0 के क्लस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित क्लस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ, दलहन के क्लस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रू0 7500.00 प्रति है0, मोटे अनाज हेतु रू0 5000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रू0 12500.00 प्रति है0 की दर से राज सहायता देय है।

2– बीज वितरण–किसानों को धान, गेहूँ के उन्नत प्रजाति कि बीजों पर रू0 1000.00 प्रति कु0, धान तथा मक्का के संकर प्रजाति हेतु रू0 5000.00 प्रति कु0, मोटे अनाज के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रू0 1500.00 प्रति कु0 अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान की अनुमन्य सीमा रू0 2500.00 प्रति कु0 निर्धारित की गयी है।

3– पौध एवं मृदा प्रबन्धन–किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500.00 प्रति है0 जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।

4– कृषि यंत्र वितरण–धान, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5– सिंचाई यन्त्र वितरण– इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3– राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)–

योजना 90 प्रतिषत केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्वि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2– कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।

3– सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोडना एवं सुदृड करना।

4– कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5– योजना का कियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रषिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

कार्यक्रम की मदें–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेशन रिसर्च एण्ड एक्सटैंशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेशा सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों को प्रोत्साहन, कृषक पुरूस्कार वितरण, किसान मेले/फल–सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड–डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)

भारत सरकार द्वारा 2021–22 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य–

1– लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुच बढाना।

2– कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।

3– सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।

4– प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।

5– प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP)–

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

1–योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2–आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।

3– कृषक प्रशिक्षण–बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुडे किसानों को एक–एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रषिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य क्रियाओं की जानकारी हो सके।

4– भण्डारण के लिये टिन की बुखारियों का वितरण– 20 कुंतल की बुखारी क्रय पर अनु0जाति–जनजाति के किसानों को 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 प्रति और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2000 प्रति अनुदान की व्यवस्था है। 10 कुंतल की बुखारी पर उक्तानुसार आधा अनुदान देय है।

4–राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)–

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्वति के प्रोत्साहन के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य–

1– स्थान विशेशिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
2– समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
3– मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रबन्धन।
4– प्रति बंद अधिक फसल के सिद्वान्त को सुदृड करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढाना।
5– अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक–

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम –

इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु जनपद में 6 कलस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्वति, पशुपालन आधारित कृषि पद्वति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्वति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्वति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु रू0 121.19 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धक (सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (SHM)

1– नयी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सूक्ष्म पोशक तत्वों के परीक्षण हेतु सुदृढीकरण तथा प्रसार अधिकारियों/कर्मचारियों को पोर्टबल मृदा परीक्षण आदि उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
2– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दो वर्ष में हर कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है, जिससे पोशक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके।

5– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)–

1– योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
2–योजना का कियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें –

1– योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम वर्षो के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकडे उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।
2– बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल, मंडुवा तथा रबी मौसम में गेहूँ।
3– किसानों की पात्रता–संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।
4– अनिवार्यता के आधार पर–ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं।
5–स्वैछिक आधार पर–संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।
6– कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद–व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसेः–

1. प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
2. तूफान, ओला, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
3. बाढ, जल प्लावन एवं भू–स्खलन।
4. सूखा, शुष्क अवधि

6– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्वि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देश्यीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्वार तथा विस्तार आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं, साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

1– Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)
2– पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर क्रॉप)
3– पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी)
4– पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास)

1. तिलहन फसलों के अन्तर्गत विभिन्न उन्नत प्रजातियों के बीजों की प्रतिस्थापन दर को बढाना।
2. तिलहन फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र को बढाना।
3. तिलहन फसलों द्वारा कम उत्पादक खाद्यान्न फसलों के साथ कृषि विविधीकरण को बढावा देना।
4. धान/आलू उत्पादन के बाद खाली रहने वाली भूमि को उपयोग लाना।
5. तिलहन फसलों के अधिक उपजदायी बीजों की उपलब्धता कराना।
6.

7– जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा एवं कृषि यंत्रीकरण आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

8– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

9– परम्परागत कृषि विकास योजना–

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

2.6:– लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसगः–

संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिगंल विण्डो सिस्टम के रुप में में पुर्नगठित किया गया।

2.7:– लोक प्रधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरो पर संगठन का ढॉचाः–

1– जिला स्तर परः–
- 1– मुख्य कृषि अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी।
- 2– कृषि रक्षा अधिकारी ।

2– इकाई स्तर परः–
- 1– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट।

2– ब्लॉक स्तर परः–
- 1– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विकासखण्ड प्रभारी)
- 2– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (बीज भण्डार प्रभारी)

3– न्याय पंचायत स्तर पर–
- 1– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 (न्याय पंचायत प्रभारी)

2.8:– लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें:– कृषि विभाग जनपद स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमो के सफल कियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है। क्योकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है। और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9:– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्थाः– जनपद स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियॉ आयोजित की जाती है। जिसमें जनपद के समस्त कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10:– जन सेवाओ के अनुश्रवण एवं शिकायतो के निस्तारण की व्यवस्थाः– जनता से शिकायते प्राप्त होने के लिए जनपद स्तर कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई एवं विकासखण्ड स्तर पर भी कृषको की शिकायते प्राप्त की जाती है तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाईल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हैल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।

–:: मैनुअल– 2 ::–

(अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य)

पदनाम– मुख्य कृषि अधिकारी

शक्तियॉः–

1– जनपद में अधिकारियों/कर्मचारियो के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबन्ध में।

2– लधु दण्ड निन्दा, टाइम स्केल में वेतन वृद्वि रोकना, असावधानी या आज्ञाओं का उल्लघंन किये जाने के कारण सरकार को पहुॅचायी गई आर्थिक क्षति को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वेतन से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

3– जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करना।

4– अपने अधीनस्थ कार्मिक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी का सम्पूर्ण चिकित्सा/अर्जित अवकाश एवं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2/सहायक लेखाकार/प्रधान सहायक के 6 सप्ताह तक के चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश के स्वीकृत प्राधिकार। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1/प्रधान सहायक/लेखाकार के चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु हेतु प्रकरण मण्डलीय अधिकारी को अग्रसारण का प्राधिकार, राजपत्रित अधिकारियों के अर्जित एवं चिकित्सावकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से कृषि निदेशालय, देहरादून को अग्रसारण का प्राधिकार है।

5– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि की दण्ड एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना तथा कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के कर्मचारियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के दण्डन का अधिकार, संबन्धित सेवा के नियमों के अर्न्तगत।

6– सहायक लेखाकार/लेखाकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी आदि की चरित्र प्रविष्टि पर संस्तुति कर स्वीकृति हेतु मण्डलीय कार्यालय, हल्द्वानी को अग्रसारित करना।

7– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2, 3/प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता/ आशुलिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के स्वीकृति

प्राधिकारी तथा कनिष्ठ सहायक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर समस्त कार्मिकों की प्रविष्टियों का रख–रखाव हेतु मण्डलीय कार्यालय, हल्द्वानी को प्रेषित किया जाना।

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया हैं। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों योजनाओं के सफलातापूर्वक कियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों यथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृत्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व सुनिश्चित किये गये हैं।

1– मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।

2– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग के अपने अधिष्ठान का आहरण वितरण अधिकारी हैं।

3– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशो यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।

4– कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को कियान्वित करायेगा।

5– जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्वि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको कियान्वित करेगा।

6– उत्तरांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7– जिला स्तर पर संकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं को संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, कृषि को समय–समय पर प्रेषित करेगा।

8– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यो का अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।

9– अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना।

10– अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।

11– अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।

12– जिला स्तर पर बजट संबन्धी सम्पूर्ण कार्यदायित्व से संबन्धित सूचना संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।

13– मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालय में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।

14– जिले में कृषि कार्यक्रमों से संबन्धित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।

15– जिले के अन्तर्गत बीज/उर्वरक अधिनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य दायित्व का निर्वहन करना।

16– सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–107/सी0एस0/कृषि/03/रिट–2(2) 02, दिनांक 3 जनवरी, 2004 के परिशिष्ट–1 के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायित्व का निर्वहन करना।

कृषि रक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः–

1– अपने जिले में समस्त कृषि रक्षा कार्यो को दक्षता एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य।
2– कीटनाशी दवा एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था तथा कार्यस्थलों पर यथासमय पूर्ति करना।
3– जिले में कीटनाशी रसायन गुणों की रक्षा तथा मिलावट व अनियमित ब्रिकी को रोकना।
4– जनपद में कार्यन्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में यथा–जैविक खाद आदि के संचालन में सक्रिय सहयोग।
5– जनपद में कृषि रक्षा गोदमों का लेखा व अन्य रिकार्ड का माह में एक बार अपने लेखा कर्मचारियों द्वारा जॉच कराना तथा लेखा नियमों के अनुसार रिकार्ड को दुरस्त कराना और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजना।
6– खण्ड के कृषि रक्षा कार्यो का शत प्रतिशत मौके पर निरीक्षण तथा उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
7– जनपद के समस्त कृषि रक्षा योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 50 प्रतिशत सत्यापन करना एवं दी गई अनुदान की राशि का स्वयं सत्यापन करना कृषि रक्षा रसायनों की बैंलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट को यथा समय भेजना।
8– कृषि रक्षा रसायनों संबन्धी आय व्ययक का समुचित रूप से हिसाब रखना तथा उसका समय से सदुपयोग करना एवं देय समय में भुगतान की व्यवस्था करना।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्य एवं दायित्व–

प्रत्येक जिले में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के कियान्वयन हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का एक या एक से अधिक पद सृजित किया गया हैं। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:–

1– उत्तराखण्ड भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यो के लिए कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।
2– इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी से उनका अनुमोदन प्राप्त करना।
3– इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यो का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था कराना एवं समस्त देय धनराशि के अभिलेखों के रख–रखाव का प्रबन्ध कराना।
4– इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो–दो परियोजनाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यो के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।
5– इकाई स्तर पर कराये गये कार्यो से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।
6– इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख–रखाव करना।
7– इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यो का प्रगति विवरण तथा अन्य सूचनांए मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना।

8– इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।

9– भूमि संरक्षण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार कराना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

सिंगल विण्डो सिस्टम

सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें है। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनो क्षेत्रों का प्रतिनिधत्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानो तक पहुॅचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे है, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यो के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण/जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यो का पृथक–पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहें थें। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से **मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–**

1. वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।
2. पूर्व ढॉचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढॉचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सकें।
3. क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहें थें, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया है।
4. कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे–बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर समान्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।
5. पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।
6. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।
7. उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।
8. कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं कियान्वयन सुनिश्चित करना।

9. कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
10. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानो की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।
11. जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।
12. कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। ताकि लैव टू फील्ड एवं फील्ड टू लैव के पैर्टन पर तथा ट्रैनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सकें। इसके लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुद्वढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नही कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जो समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा। किसान कॉल सेन्टर/टॉल फ्री नम्बर के माध्यम से भी कृषकों के समस्याओं का समाधान करेगा।
13. न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवो का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिक आदि के कियाकलापों के कियान्वयन में दक्षता तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन ओरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप सें लागू हो सकें। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।

14. न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।
15. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग– 2 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार–प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।
16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रो द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा जहां आवश्यकतानुसार कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

कृषि विभाग के जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियो के आकस्मिक अवकाश यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण संबन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन।

कृ0सं0	अधिकारी का नाम	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण अधिकारी
1	2	3	4
1	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी	यात्रा भत्ता बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक करेंगे।
2	जनपद मुख्यालय स्तर पर/ तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी–2 के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी।

नोटः समूह–ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबन्ध में आकस्मिक अवकाश/यात्रा कार्यक्रम अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।

2 समूह–क एवं ख के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश की सूचना निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।

कृषि विभाग के मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबन्धी अधिकार।

कृ0सं0	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक स्थानान्तरण नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राधिकारी होंगे	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण कृषि निदेशक, उत्तरांचल के स्तर से किये जायेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत/वाहन/कम्प्यूटर क्रय/साईकिल क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

कृ0सं0	श्रेणी	स्वीकृता अधिकारी	अभिलेखं के रख रखाव का स्तर
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर।

अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारः–

कृ0सं0	वर्ग का नाम	परिसीमायें (अर्जित/चिकित्सा अवकाश)	स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी
1	2	3	4
1	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	सम्पूर्ण, देय अवकाश की सीमा तक	कार्यालयाध्यक्ष
2	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
3	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
5	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	विभागाध्यक्ष
6	राजपत्रित अधिकारी	1. 60 दिन तक का अर्जित अवकाश	विभागाध्यक्ष
		2. 90 दिन तक का चिकित्सा अवकाश	
		3. सेवानिवृत्ति/सेवारत मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश लेखे में संचित पूर्ण अवकाश की स्वीकृति	
7	सहायक लेखाकार/प्रधान लिपिक	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
8	लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
		6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
9	अधीनस्थ कर्मचारियों में कार्यरत अन्य समस्त समूह ग व घ के कर्मचारी	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	निदेशक विभागाध्यक्ष
		सम्पूर्ण अवकाश	कार्यालध्यक्ष

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य सहायक, का जॉब चार्ट

1. अधिष्ठान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ अनुभाग में बैठकर कार्य निष्पादन कराना।
2. पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व के साथ–साथ मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी संसद, विधान मण्डल के प्रश्न कर्मियों के लम्बित पावनों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें, कोर्ट कैसेज एवं अन्य विशेष रूप में सौपें गये प्रकरणों को स्वयं देखेंगें।
3. अनुभाग में डाक प्राप्त होने पर तत्कालिक संदर्भो को समान्य से पृथक कर उनमें पताका लगाकर निस्तारण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

4. अनुभाग में कार्यरत अपने सहायकों को कार्यो की नियंत्रित रूप से जॉच करते हुए देखेगें कि संन्दर्भो का समय से निस्तारण हो जाय।
5. वह कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सहायकों के पटल पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनायेंगे। तथा समय–समय पर अनुसार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
6. कार्य की महत्ता को देखते हुये यह किसी भी सहायक को चाहे प्रकरण उससे संबन्धित भी न हो तो कार्य के निस्तारण हेतु निर्देश दे सकते हैं।
7. कर्मियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना तथा पंजिका रख–रखाव।
8. अवकाश वार्षिक वेतन वृद्वि, समयमान वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे एवं कर्मचारियों के अन्य सेवा संबन्धी मामलों का संबन्धित पटल सहायक से त्वरित निस्तारण कराना।
9. लिपिकीय कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। बाहरी सरकारी या अशासकीय व्यक्ति केवल शासकीय कार्य हेतु अनुभाग में आने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर प्रवेश करने देना।
10. अनुभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मियों के पुननिर्धारण के संबन्ध में सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव कर्मी की वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना।
11. डाक टिकट पंजिका की जॉच एवं अवशेष टिकटों की सत्यता सत्यापन।
12. सामान्य प्रशासन में सहयोग देना।
13. अनुभाग में कार्यरत प्रत्येक पटल सहायकों की कर्तव्य सूची बनाना तथा अनुभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर अद्यतन रूप से पटल पर रखना।
14. सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूचियों को अपनी देख–रेख में तैयार कराना एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराना।
15. सम्वर्गवार पदोन्नतियों के प्रकरणों को तैयार कराना एवं उनको निस्तारित कराने का कार्य।
16. स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कराना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
17. अनुभाग की उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव।
18. अभिलेखों के समुचित रख–रखाव तथा अभिलेखागार में पत्रावलियों को समयावधि तक अभिरक्षित एवं निदान की व्यवस्था बनाये रखना।

<u>लेखाकार/सहायक लेखाकार</u>–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का पदनाम जिसके संरक्षण में अभिलेख हैं	अभिलेख का विवरण
	मुख्य कृषि अधिकारी	लेखाकार	**पत्रावलियां एवं पंजिकाये**
			1. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत 2. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनेत्तर 3. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत/आयोजनेत्तर 4. महालेखाकार के आंकडों से मिलान संबंधी पत्रावली 5. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी पत्राचार पत्रावली 6. वसूली से संबंधित पत्रावली

			7. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर 8. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर 9. जनपदवार राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त सूचना संबंधी पत्रावली

प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायकः–

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान में कार्यरत प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक के मध्य कार्य के औचित्य के दृष्टिकोण से पटलों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जॉब चार्ट बनाकर संबन्धित सहायको को पटल विभाजित करेगें। जैसे पेंशन, सामान्य भविष्य निधि प्रकरण, प्रतिपूर्ति दावें, डाक प्राप्ति प्रेषण, भण्डार, कैश एवं जमानत, वेतन बिल, अधिकारियों से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना संबन्धी कार्य, कार्यालय के अन्य अनुभागों में लिपिक के कर्मचारियों की तैनाती तथा अनुभागों में टाइप/कम्प्यूटर टाइप कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिदिन पूर्ण करने का दायित्व संबन्धित सहायकों को सौंपे गये कार्यदायित्व के अनुकूल रहेगा। अनुभाग में कार्यरत प्रवर एवं कनिष्ठ सहायक अपने कृत्यों के निवर्हन हेतु प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदाई रहेगें तथा पटल सहायकों की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा।

आशुलिपिक ग्रेड–1/ग्रेड–2/वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकः–

1. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का रख–रखाव एवं उनके संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।
2. अति गोपनीय अनुशासनात्मक एवं जांच प्रकरणों की पत्रावलियों का रख–रखाव।
3. अधिकारियों द्वारा दिये गये श्रुतलेख को संक्षिप्त लिपिबद्व करते हुये यथावत टाइप का कार्य
4. अर्द्वशासकीय पत्रों/शीलबन्द लिफाफों, गोपनीय एवं अतिगोपनीय पत्रों को डाक से पृथक कर अधिकारी के सम्मुख पृष्ठादेश हेतु प्रस्तुत करना।
5. उच्च स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित ऐजेण्डे, दूरभाष, फैक्स से वाछित सूचना को अधिकारी के सज्ञांन में लाते हुये त्वरित कार्यवाही करना।
6. अधिकारी के आवश्यक निर्देश पर डाक मार्क करना।
7. अधिकारी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्तिम अनुमोदित भ्रमण पत्रावली का रख–रखाव।
8. अधिकारी को आवंटित वाहन की लॉग बुक का अद्यतन रूप से वाहन चालक से पूर्ण कराना तथा वाहन द्वारा मासिक तय की गई दूरी एवं पेट्रोल, डीजल के औसत का रख–रखाव कराना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीः–

कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदनाम से पदों का सृजन हुआ है अतः कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनाती पद विशेष के आधार पर यथा चौकीदारी, अर्दली, हलवाह कार्यालय चपरासी, लैब परिचारक, क्षेत्र परिचारक, क्लीनर के कार्यदायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ अधिकारियों एवं कार्यालय

सहायकों द्वारा मौखिक/लिखित में शासकीय कार्यहित में दी गई आज्ञा का पालन शालीनता के साथ सुनिश्चित करेगें।

–:: मैनुअल–3 ::–

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम् सम्मिलित हैं)
विभागाध्यक्ष/निदेशालय से प्राप्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती हैं।

3.1 1. वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेश, वित्तीय आवंटन में दिये गये निर्देशो के आधार पर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता हैं।

2. नियोजन/स्थापना मामलों में प्रचलित सेवा नियमावलियों/ग्रेडेशन लिस्ट/सेवा के संवर्ग के कर्मियों के मामलो के निस्तारण में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तरों से प्रस्तुत प्रस्तावों के समुचित परीक्षण हेतु समिति गठित करते हुए समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।

3. प्रशासनिक मामलों में शासन की समय–समय पर प्रचलित नीति एवं शासनादेशों, में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता हैं।

4. गुणवत्ता नीति के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1983 कीट पादप रोग अधिनियम 1968, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को परखने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1937 में प्रदत्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है।

3.2 किसी विशेष विषय जिस विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्षों को निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे विषयों पर विभागाध्यक्ष शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लेते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यलयाध्यक्ष किसी विशेष विषय पर अपने मण्डलीय अधिकारियों/निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तद्नुसार निर्णय लेते हैं। विधि–विषयों में प्रकरण शासन को संदर्भित कर न्याय विभाग की सहमति पर निस्तारित किये जाते है तथा वित्त सम्बन्धी जटिल प्रकरणों पर शासन के वित्त विभाग से प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

3.3 विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों एवं सूचना तंत्र के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों पर लिये गये निर्णय एवं शासन की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हैं तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्रपंचायत की बैठकों में भी इस आशय की जानकारी सुलभ कराते हैं।

3.4 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी विभागीय स्तर पर कृषि निदेशक है।

3.5 मुख्य विषय पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

मैनुअल–3 (ए)

कृषि विभाग में वित्तीय निर्णय लेने की प्रकिया

वित्तीय प्रकिया में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–2, प्रोक्यूरमैंट नियमावली तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य–मुख्य निर्णय निम्नप्रकार प्रस्तरवद्व किये जा सकते है।

बजट आवंटन तथा उपयोग की प्रकियाः

आयोजनागत मद में शासन से परिव्यय स्वीकृत होता है परिव्यय व बजट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपदों को विभागीय कार्ययोजना के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य दिये जाते है। इन वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष बजट का योजनावार ऑवटन जनपदों व अन्य कार्यालयों (यथा सांख्यिकी हेतु जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत कृषि कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित) को ऑवटन किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट मैनुअल परक्यूरमैन्ट नियमावली वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का संज्ञान लेते हुए बजट का उपयोग किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का पूर्ववर्ती माह का व्यय विवरण निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–8 पर निदेशालय को आगामी माह में उपलब्ध कराया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियो से प्राप्त व्यय विवरण बी0एम0–8 को योजनावार संकलित कर संकलित सूचना प्रारूप बी0एम0–12 तैयार कर महालेखाकार को एवं प्रारूप बी0एम0–13 पर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषणः

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं में उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण (ऑडिट) की प्रकियाः

आबंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुकूल किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जाती हैं। सम्प्रेक्षण महालेखाकार, विभाग तथा बाहय एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। विभागीय सम्प्रेक्षण में प्रकाश में आयी आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं तथा आडिट/प्रस्तर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, को भी भेजी जाती है।

–:: मैनुअल–4 ::–

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तद्सम्बन्धी निर्देशो का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टैयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टेयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लघु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहॉ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।

- चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
- विभिन्न कार्यक्रमों को अलग–अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिश्चित करना।
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृषि विविधीकरण।

1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्राश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्वि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
2– कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निश्पादन सुनिश्चित करना।
3–यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।
4–महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्वि करना।
5–कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्वि करना।

2. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2021–22 में भी संचालित है।
1– एन0एफ0एस0एम0 चावल– के अन्तर्गत 5 जनपद उधमसिंहनगर, पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।
2– एन0एफ0एस0एम0 गेहूँ– के अन्तर्गत 9 जनपद उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।
3– एन0एफ0एस0एम0 दलहन – के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया है।
कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश स्तर पर स्टेट फूड सिक्योरिटि मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

योजना के घटक–

1– कलस्टर डिमान्सटेशन– क्लस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 है0 के क्लस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित क्लस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ, दलहन के

क्लस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रू0 7500.00 प्रति है0, मोटे अनाज हेतु रू0 5000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रू0 12500.00 प्रति है0 की दर से राज सहायता देय है।

2– बीज वितरण– किसानों को धान, गेहूँ के उन्नत प्रजाति कि बीजों पर रू0 1000.00 प्रति कु0, धान तथा मक्का के संकर प्रजाति हेतु रू0 5000.00 प्रति कु0, मोटे अनाज के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रू0 1500.00 प्रति कु0 अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान की अनुमन्य सीमा रू0 2500.00 प्रति कु0 निर्धारित की गयी है।

3– पौध एवं मृदा प्रबन्धन– किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500.00 प्रति है0 जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।

4– कृषि यंत्र वितरण– धान, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5– सिंचाई यन्त्र वितरण– इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3– राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) <u>सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)–</u>

योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्वि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2– कृषि एवं कषकों का सबलीकरण।

3– सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोडना एवं सुदृढ करना।

4– कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5– योजना का कियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

<u>कार्यक्रम की मदें</u>–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन रिसर्च एण्ड एक्सटैंशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेश सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों को प्रोत्साहन, कृषक पुरूस्कार वितरण, किसान मेले/फल–सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड–डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) <u>सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)</u>

भारत सरकार द्वारा 2020–21 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य–

1. लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढाना।
2. कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।
3. सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।
4. प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।
5. प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP)–

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

1. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
2. आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।
3. कृषक प्रशिक्षण–बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुडे किसानों को एक–एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य क्रियाओं की जानकारी हो सके।
4. भण्डारण के लिये टिन की बुखारियों का वितरण–20 कुंतल की बुखारी क्रय पर अनु0जाति–जनजाति के किसानों को 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 प्रति और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2000 प्रति अनुदान की व्यवस्था है। 10 कुंतल की बुखारी पर उक्तानुसार आधा अनुदान देय है।

4–राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)–

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्वति के प्रोत्साहन के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य–

1– स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।

2– समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

3– मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रबन्धन।

4– प्रति बंद अधिक फसल के सिद्वान्त को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढाना।

5– अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक–

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम –

इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु जनपद में 6 कलस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्वति, पशुपालन आधारित कृषि पद्वति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्वति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्वति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु रू0 121.19 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धक (सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (SHM)

1– नयी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु सुदृढीकरण तथा प्रसार अधिकारियों/कर्मचारियों को पोर्टबल मृदा परीक्षण आदि उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

2– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दो वर्ष में हर कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है, जिससे पोषक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके।

5– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)–

1. योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
2. योजना का कियान्वयन एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें –

1. योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम वर्षो के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकडे उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।
2. बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल, मंडुवा तथा रबी मौसम में गेहूँ।
3. किसानों की पात्रता–संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।
4. अनिवार्यता के आधार पर–ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं।
5. स्वैछिक आधार पर–संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।
6. कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद–व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसेः–
7. प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
8. तूफान, ओला, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
9. बाढ, जल प्लावन एवं भू–स्खलन।
10. सूखा, शुष्क अवधि

6– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्वि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देश्यीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्धार तथा विस्तार आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं, साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

1. Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)
2. पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर क्रॉप)
3. पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी)
4. पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास)

7– जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा एवं कृषि यंत्रीकरण आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

8– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

9– परम्परागत कृषि विकास योजना–

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजेना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

2.6:– लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसगः–

संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिगंल विण्डो सिस्टम के रुप में में पुर्नगठित किया गया।

10. पौध सुरक्षा कार्यक्रम– जनपद में वर्ष 2020–21 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न वर्गवार कृषि रक्षा रसायन वितरण किये गये है।

कीटनाशक धूल/दानेदार– 70.000 किलोग्राम

1. कीट नाशक तरल – 130.000 लीटर
2. फफूदीनाशक– 0.000 किलोग्राम
3. खरपतवार नाशक– 0.000 यूनिट

–:: मैनुअल– 5::–

(अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देशिका और अभिलेख)

संगठनो के पास शासकीय दस्तावेजो की जानकारी देने हेतु निर्धारित रूपपत्रो की ही प्रयोग किया जायेगा और निदेशालय स्तर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजो का पालन किया जायेगा। विभाग में निम्न अधिनियम/अधिसूचनाओं के प्राविधानानुसार तथा समय–समय पर संशोधित अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

क–

क0सं0	विवरण
जनपद में बीज अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।	
1.	बीज अधिनियम 1966
2.	बीज नियम 1968
3.	बीज नियंत्रण आदेश 1983
जनपद में कीटनाशी अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।	
1	कीटनाशी अधिनियम 1968
2	कीटनाशी नियम 1971
3	कीटनाशी आदेश 1986
4	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी रसायन विनिर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करने विषयक अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 13 फरवरी 2001
5	कीटनाशी अधिनियम के अर्न्तगत अपील अधिकारी नियुक्ति विषयक सूचना सं0–343 13 फरवरी, 2001
6	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी निरीक्षक नियुक्ति विषयक अधिसूचना सं0 344 दिनांक 13 फरवरी, 2001
7	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अर्न्तगत कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विषक्ता सम्बन्धी अधिसूचना संख्या –345 13 फरवरी 2001
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अभियोजन संस्थित करने विषयक अधिसूचना संख्या –346 13 फरवरी 2001
9	उत्तराखण्ड (उ0प्र0) कृषि रोग व कीट अधिनियम 1954 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश दिनांक 8.11.2002
10	कीटनाशी अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003

11	कीटनाशी अधिनियम 1968 के सन्दर्भ में कीटनाशी विश्लेषक की अधिसूचना संख्या–1528 दिनांक 19 मार्च, 2003
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी नियमावली 1971 के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी नियुक्ति विषयक अधिसूचना संख्या–1441 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
13	एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शासनादेश संख्या–1265 दिनांक 18 मई, 2005
14	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग फरीदाबाद, हरियाणा का पत्रांक 115–6/2007 दिनांक 16/18.7.2007
15	कार्यालय ज्ञाप अपील का प्राधिकार पत्रांक 2526 दिनांक 13 अगस्त, 2007
16	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 6476 दिनांक 13 मार्च, 2008
17	कार्यालय ज्ञाप संयत्र/उपकरण विषयक टास्क फोर्स समिति पत्रांक 6140 दिनांक 18 फरवरी, 2009
	कृषि उत्पादन मण्डी
28.	कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964
29.	कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965
30.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972
31.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1984
32.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984
33.	अधिनियम के अर्न्तगत सर्कुलर एवं अधिसूचनायें
	कृषि उत्पाद एक्ट
34.	कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग – मार्किग) एक्ट 1937
	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किग) रूल्स
35.	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किग) रूल्स 1988
	स्थानान्तरण नीति/कार्यालय ज्ञाप/शासनादेश
36.	सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2008, 2009 एवं 2010
37.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1340 दिनांक 07 नवम्बर, 03
38.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1341 दिनांक 07 नवम्बर, 03
39.	मृदा परीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना सं0–1472दिनांक 17.11.05
40.	सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक जैव कीटनाशी, खर–पतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–905 दिनांक 20 जून, 2007
	विनियमितीकरण
41.	उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002
42.	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर च0श्रे0 कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सं0–1706 दि0 2.11.04

ख–

क0सं0	विवरण
	फर्टीलाइजर
1.	फर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट 1985
2.	फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आदेष 1973
3.	उर्वरक नियन्त्रण संशोधित अधिसूचना संख्या 1673 दिनांक 5.03.2003
4.	उर्वरक (नियन्त्रण) 1985 के अर्न्तगत संशोधित फरवरी, 2019
	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम
5.	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
6.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963
7.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अधीन नियमावली 1963
8.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण (संशोधन) नियमावली 1971
	विभागीय पुर्नगठन अधिसूचनाएं
9.	अधिसूचना संख्या 680 दिनांक 4 अक्टूबर 2001
10.	अधिसूचना संख्या 782 दिनांक 27 अक्टूबर 2001
11.	अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 2 अगस्त 2003
12.	संशोधित अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 28 फरवरी 2004
13.	कृषि विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल सम्वर्ग के संगठनात्मक ढ़ाचें के पुर्नगठन के सम्बन्ध में शा0 सं0 720 दिनांक 22.10.2008 शां0 सं0 570 दिनांक 20.08.2008 शां0 सं0 277 दिनांक 24.11.2006
14.	शा0 सं0 411 दिनांक 28.07.2009 उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
15.	शा0 सं0 648 दिनांक 17.09.2009 24 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य समयमान वेतनमान सम्बन्धी
16.	शा0 सं0 860 दिनांक 17.11.2009 प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रकिया एवं प्रणाली का निर्धारण
17.	24 वर्ष की सेवा अनुमन्य विषयक समयमान वेतनमान सम्बन्धी शा0 सं0 899 दिनांक 30.09.2009
18.	वाहन चालक के सम्वर्गीय ढ़ाचें के सम्बन्ध में शा0 सं0 978 दिनांक 30.12.2009
19.	एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के कियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश
20.	लिपिक वर्गीय स्टांफिग पैर्टन विषयक शा0सं0 183 दिनांक 11.02.2010
21.	आशुलिपिक सेवा (संशोधित) नियमावली 2010 शा0सं0 215 दिनांक 10.03.2010
22	पुर्नगठन संशोधित अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 11.03.2010
23.	सिंगल विन्डों विषयक अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 28.05.2010
	सेवा नियमावलियां
24.	उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क') सेवा नियमावली 1992
25.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि समूह 'क' पद सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

26.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995
27.	उत्तराखण्ड (उ0प्र0कृषि समूह 'ख' पद सेवा नियमावली 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
28.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993
29.	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
30.	वेतन विसंगति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
31.	कार्यालय ज्ञाप सं0 1333 दिनांक 06.09.2005 कनिष्ठ अभियन्ता पद कृषि सेवा नियमावली 1993 के परिशिष्ठ 'ख' में सूचीबद्व विषयक
32.	वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति
33.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982
34.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा संशोधन नियमावली 1983
35.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
36.	समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में लेखा सम्वर्ग के वेतनमानों का निर्धारण
37.	द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा सम्वर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति
38.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तराखण्ड संशोधन) नियमावली 2005
39.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 436 दिनांक 27 मार्च 2006 सहायक लेखाकार/लेखाकार 80:20
40.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992
41.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
42.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000
43.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइंग इस्टेवलिसमेन्ट सेवा नियमावली 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
44.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली 2008
45.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983
46.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
47.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
48.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984
49.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
50.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2004

51.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993
52.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
53.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2003
54.	सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974
55.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली 1993
56.	उत्तर प्रदेश काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1994
57.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
58.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004 (प्रथम संशोधन)2004

–:: मैनुअल–6::–

(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)
कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया हैं।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायको को विभिन्न कार्यो को सौंपा गया हैं।
(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया हैं।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायको को विभिन्न कार्यो को सौंपा गया हैं।

नाम व पदनाम– श्री पंचम कुमार, वरिष्ठ सहायक

पटल का नाम– भण्डार, सूचना अधिकार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपणन

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	कार्यालय टंकण मरम्मत आक0व्यय	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	मृदा परीक्षण लोहाघाट विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

3	कम्प्यूटर, फोटोकापियर, फैक्स से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	क्रय आदेश/पत्र व्यहार कृषि यत्रों से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	टेलीफोन/विद्युत सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
6	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की वर्दी स्वीकृति आदेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
7	स्टेशनरी आपूर्ति हेतु आदेश से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	कोटेशन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
9	जल पम्प/सैक्सन पाईप क्रय से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
10	जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षरार्थ सम्बधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11	डी 01, डी 02, भण्डार पुस्तिका से सम्बन्धित पत्राचार	तदैव	तदैव	तदैव
12	डिलीवरी पाईप/सैक्सन पाईप से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	कन्ज्यूमेबिल क्रयादेश एवं वितरण सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	मृत स्कन्ध क्रयादेश से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	विभागीय वाहन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16	वाहन पत्रावली UA03–5247	तदैव	तदैव	तदैव
17	विकास भवन में कक्ष आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18	बकाया रहित/अदेय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19	न्याय पंचायत कृषि गोदामों	तदैव	तदैव	तदैव
20	वीडियों कान्फ्रेसिंग कोटेशन से सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट	तदैव	तदैव	तदैव
22	कार्यालय अभिलेखों की बिड़िग की कार्यवाही	तदैव	तदैव	तदैव
23	निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण एवं पत्रावलियों के बिडिंग से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
1	प्राप्त आवेदन एवं निस्तारण से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
2	सूचना अधिकार मासिक प्रगति	तदैव	तदैव	तदैव

	रिपोर्ट			
3	अपीलीय से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	श्री हरदीप शर्मा से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	श्री चन्द्रशेखर जोशी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
6	श्री संजय प्रकाश गर्ग से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
7	श्री ललित प्रसार पाण्डेय से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	श्री चन्द्रशेखर जोशी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
9	श्री शिव प्रसाद सती से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
10	श्री श्याम लाल गर्ग से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11	श्री संजय अग्रवाल से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
12	श्री रमेश चन्द्र चौहान से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	श्री एस0पी0 सिंह से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	श्री जयपाल सिंह से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	श्रीमती आशा देवी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16	श्री प्रदीप देवरा से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17	श्री राजेन्द्र खर्कवाल से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18	श्री राजेन्द्र खर्कवाल से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19	श्री उत्तम सिंह ग्राम मल्ली खटोली जॉच पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	श्री ईश्वरी दत्त से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
21	श्री राजेन्द्र खर्कवाल से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
22	श्री भवान सिंह महर से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

23	श्री शेर सिंह अधिकारी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
24	श्री टीका राम भट्ट से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25	श्री चन्द्रशेखर जोशी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	श्री ईश्वरी दत्त से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
27	श्री टीका राम भट्ट से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
28	श्री कमलेश सैनी, बड़ी वाली हवेली राजस्थान	तदैव	तदैव	तदैव
29	श्री ललित मोहन, मैरोली, खेतीखान, चम्पावत	तदैव	तदैव	तदैव
30	श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम व पोस्ट–गागर, पाटी, चम्पावत	तदैव	तदैव	तदैव
31	श्री खीमानंद भट्ट, ग्राम व पोस्ट–स्वाला, चम्पावत	तदैव	तदैव	तदैव
32	सूचना अधिकार मैनुअल 01 से 17 वर्ष 2017–2018	तदैव	तदैव	तदैव
33	सूचना अधिकार मैनुअल 01 से 17 (पटलवार प्राप्त सूचना)	तदैव	तदैव	तदैव
34	श्री बलवन्त सिंह, हा0नि0–दुर्गा विहार कालोनी, बिजनौर	तदैव	तदैव	तदैव
1	IWMP ट्रेनिग सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
2	सर्विस प्रोवाइडर (जलागम विकास दल सदस्य)	तदैव	तदैव	तदैव
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सम्बन्धित विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भिक कार्यकलाप से सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव
5	मृत स्कंध से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
6	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
7	IWMP कोटेशन प्राप्ति रसीद (प्रथम) से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	कन्ज्यूमेबिल स्टाक से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	तदैव	तदैव	तदैव

	बजट से सम्बन्धी			
10	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम व्यय विवरण	तदैव	तदैव	तदैव
11	कम्पाइलिंग एण्ड ऑफ कैडस्ट्रट	तदैव	तदैव	तदैव
12	पी0एफ0एम0एस0 से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	डी0पी0आर0 से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	IWMP सीमेन्ट एवं सामग्री मांग पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	IWMP ग्राम पंचायत पुनेठी में विवाद से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16	अनुश्रवण–मनरेगा से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17	समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम से कोटेशन सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18	जलागम विकास दल सदस्य उपस्थिति से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19	फर्म के श्रोत पर आयकर कटौती से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	IWMP ऑडिट से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
21	कम्पाइलिंग एण्ड ऑफ कैडस्ट्रट मैप III	तदैव	तदैव	तदैव
22	IWMP व्यय विवरण से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
23	IWMP स्वंय सहायता समूह से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
24	आर0टी0जी0एस0 से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25	IWMP से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	IWMP उत्पादन प्रणाली कोटेशन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
27	IWMP लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार	तदैव	तदैव	तदैव
28	IWMP भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट	तदैव	तदैव	तदैव
29	IWMP अनुश्रवण एवं मूल्याकंन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
30	IWMP धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
31	डुंगरासेठी चैकडैम भुगतान हेतु	तदैव	तदैव	तदैव

	स्वीकृति सम्बन्धित पत्रावली			
32	जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
33	IWMP अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्वाला, नघान से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
34	IWMP वैच द्वितीय Complition Report	तदैव	तदैव	तदैव
35	IWMP परियोजना ढ़कनाबडोला गाड़ चैकडैम निर्माण	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्री रमेश सिंह बोरा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
पटल का नाम– स्थापना

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	स्थापना विविध/प्रशिक्षण पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	स्थापना पुर्नगठन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
3	स्थापना मासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक प्रगति पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	स्था0 अ0कृ0से0 वर्ग–1, 2, 3 से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	स्था0 मिनिस्ट्रियल संवर्ग से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
6	स्था0 चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
7	स्था0 विधान सभा/राज्य सभा संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	स्था0 आकस्मिक अवकाश संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
9	स्था0स्थाईकरण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
10	स्था0 अधीनस्थ कार्मिकों के गोपनीय प्रविष्टि संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11	स्था0 श्रेणी–1, 2 के वर्क एण्ड	तदैव	तदैव	तदैव

	वर्थ रिपोर्ट संबंधी पत्रावली			
12	स्था0 मानदेय पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	स्था0 वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 आदि से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	स्था0 चार्ज हस्तान्तरण आदेश संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	स्था0 चार्ज सूची संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17	स्था0 विधान सभा/लोक सभा/पंचायत निर्वाचन संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18	स्था0 श्रेणी–1, 2 के प्रभार हस्तान्तरण आदि पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19	स्था0 वार्षिक स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	स्था0 सम्पत्ति विवरण संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
21	स्था0 मुख्यालय की अनुमति लेने संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
22	स्था0 यौन उत्पीडन निवारण समिति संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
23	स्था0 आतमा योजना कार्मिकों की अवकाश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
24	स्था0 कार्यालय उपनल कार्मिकों की अवकाश संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25	स्था0 सातवे वेतन आयोग संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	स्था0 लेखा कार्मिकों से संबंन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
27	स्था0 किसान सहायक प्रतिनियुक्ति संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
28	स्था0 सेवायोजन कार्यालय से संबंन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
29	स्था0 कार्मिक डिजिटलाईजेषन से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
30	स्था0 अनुरेखक/कनिष्ठ अभियन्ता से संबंधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
31	स्था0 जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित स्थानान्तरण एक्ट की समिति संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

32	स्था0 चन्द्रशेखर जोशी, वर्ग–1 के रिट पीटिशन संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
33	01.01.16 से पूर्व पेंशनरों के वेतन निर्धारण संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
34	स्था0 सरकारी आवास आंवटन संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
35	स्था0 अटल आयुष्मान योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड निर्गत संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
36	स्था0 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
37	स्था0 50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
38	अभिनव कार्यो/नई कार्य संस्कृति/कार्य पद्वति एवं प्रणालियों संबंधी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
39	कार्मिक कल्याण समिति पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

व्यक्तिगत पत्रावलीयों का विवरण

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	स्व0 श्री खुशाल सिंह, चतुर्थ श्रेणी	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	श्री खडक सिंह कार्की, कृषि रक्षा यांत्रिक	तदैव	तदैव	तदैव
3	श्री शंकर दत्त जोशी, प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
4	श्री प्रहलाद सिंह, चतुर्थ श्रेणी	तदैव	तदैव	तदैव
5	श्री हरिनन्दन गहतोडी, स0कृ0अ0 वर्ग–1	तदैव	तदैव	तदैव
6	श्री जगत सिंह बोरा, स0कृ0अ0 वर्ग–1	तदैव	तदैव	तदैव
7	श्री तारादत्त जोशी, स0कृ0अ0 वर्ग–1	तदैव	तदैव	तदैव

8	श्री वाशुदेव पाटनी, प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
9	श्री खुशाल सिंह, अनुसेवाक	तदैव	तदैव	तदैव
10	श्री दयानन्द गहतोडी, प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
11	श्री सत्यपाल मलिक, स0कृ0अ0 वर्ग–2	तदैव	तदैव	तदैव
12	ईश्वरी राम, कृषि रक्षा अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
13	श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशा0अधि0	तदैव	तदैव	तदैव
14	श्री रमेश सिंह बोरा, मु0प्रशा0अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
15	श्रीमती कमल राणा,	तदैव	तदैव	तदैव
16	श्री कमल जोशी, स0कृ0अ0 वर्ग–1	तदैव	तदैव	तदैव
17	श्री पंचम कुमार, वरिष्ठ सहायक	तदैव	तदैव	तदैव
18	श्री विजय कुमार, कनिष्ठ सहायक	तदैव	तदैव	तदैव
19	श्रीमती रेनू भट्ट, कनिष्ठ सहायक	तदैव	तदैव	तदैव
20	श्री शेखर चन्द्र, स0कृ0अ0 वर्ग–2	तदैव	तदैव	तदैव
21	श्री कैलाश सिंह, अनुसेवक	तदैव	तदैव	तदैव
22	श्री राजेन्द्र उप्रेती, मुख्य कृषि अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक
पटल का नाम– कैश

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
01.	अल्प बचत पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
02.	कैश विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
03.	ट्रेजरी चालान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

04.	जैविक मैक्रोमोड पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
05.	कैश बाउचर गार्ड पत्रावली (सामान्य विभागीय खाता)	तदैव	तदैव	तदैव
06.	सीधे चैको की प्राप्ति रसीद पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
07.	जमानती अभिलेख	तदैव	तदैव	तदैव
08.	चालान पत्रावली (कृषि रक्षा)	तदैव	तदैव	तदैव
09.	कैश गार्ड पत्रावली (कृषि रक्षा)	तदैव	तदैव	तदैव
10.	कृ0र0 भुगतान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11.	कृषि यंत्र/उपकरण आदि विवरण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
12.	मुख्य कृषि अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13.	जैविक सम विकास पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14.	खाता संख्याः10831014628 की ब्राडशीट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15.	सूचना का अधिकार	तदैव	तदैव	तदैव
16.	डी0बी0टी0 पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17.	विभिन्न योजनाओं का बैंक एकाउन्ट रिकन्सीलेसन	तदैव	तदैव	तदैव
18.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली बी0ए0डी0पी0	तदैव	तदैव	तदैव
19.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली नमसा	तदैव	तदैव	तदैव
20.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली आर0के0वी0वाई0	तदैव	तदैव	तदैव
21.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली एस0सी0पी0/टी0एस0पी0	तदैव	तदैव	तदैव
22.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली पी0एम0के0 एस0 वाई0	तदैव	तदैव	तदैव
23.	प्राप्ति रसीद गार्ड पत्रावली पी0के0वी0वाई0	तदैव	तदैव	तदैव
24.	पैन नं0 आवन्टन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25.	बैंक खाते सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव
26.	पी0के0वी0वाई0बैंक गारन्टी	तदैव	तदैव	तदैव
27.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्री पंचम कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती रेनू भट्ट, वरिष्ठ सहायक
पटल का नाम– डिस्पैच, जी0पी0एफ0, वेतन

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
01.	आयकर पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
02.	वेतन आहरण आदेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
03.	वेतन फीड पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
04.	अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
05.	वेतन इनरसीट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
06.	वेतन मांग पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
07.	वेतन निर्धारण/वसूली पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
08.	वेतन बिल विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
09.	आयकर आंगणन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
10.	आयकर 24Q आनलाइन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11.	सा0भ0नि0 भुगतान श्री हरिनन्दन गहतोडी, वर्ग–1 (सेवानिवृत्त)	तदैव	तदैव	तदैव
12.	सा0भ0नि0 भुगतान श्री ईश्वरी राम, वर्ग–2 (सेवानिवृत्त)	तदैव	तदैव	तदैव
13.	सा0भ0नि0 भुगतान श्री तारा दत्त जोशी, वर्ग–1 (सेवानिवृत्त)	तदैव	तदैव	तदैव
14.	कृषि रक्षा अग्रिम पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15.	जी0पी0एफ0 लेखा आवंटन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16.	अंशदाई पेंशन योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17.	एन0 पी0 एस0 पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18.	सामान्य भविष्य निधि अग्रिम पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19.	सा0भ0नि0 अन्तिम भुगतान पत्रावली श्री रवीन्द्र कुमार,वरि0प्रशा0अधि0(मृत्यू दिनांक 09.11.2019)	तदैव	तदैव	तदैव
20.	90 प्रतिशत भुगतान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्री ललित सिंह, लेखाकार, आतमा
पटल का नाम– लेखा

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	महालेखाकार से सम्बन्धित पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	निविदा सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
3	बी0एम008 सम्बधि पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	निर्माण कार्य सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	जलपम्प स्प्रिंकलर योजना बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
6	बकाया वसूली पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
7	समविकास योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	कार्यालय आदेश सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
9	बीज ग्राम	तदैव	तदैव	तदैव
10	तुलन पत्र सम्बन्धी पत्र व्यवहार	तदैव	तदैव	तदैव
11	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
12	पंजीकरण पत्रावली अुनदान आहरण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	समायोजन विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	पी0 एल0 ए0 से सम्बधित	तदैव	तदैव	तदैव
16	बैक जमा की सूचना	तदैव	तदैव	तदैव
17	बी0ए0डी0पी0	तदैव	तदैव	तदैव
18	न्यायलय वाद	तदैव	तदैव	तदैव
19	सूखा राहत	तदैव	तदैव	तदैव
20	आई0 डबल्यू0 एम0 पी01,2,3	तदैव	तदैव	तदैव
21	रा0कृ0वि0यो0 बी0एस0ए0से पत्र व्यवहार	तदैव	तदैव	तदैव
22	प्रयोगशाला संचालन/निर्माण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
23	आहरण वितरण सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव
24	4401 कीटनाशी औषधियो का	तदैव	तदैव	तदैव

	क्रय बजट पत्रावली			
25	विविध पत्रावली पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	कालातीत देयकों की स्वीकृति	तदैव	तदैव	तदैव
27	सूचना अधिकार से सम्बन्धित	तदैव	तदैव	तदैव
28	वर्क एण्ड वर्थ रिपोर्ट	तदैव	तदैव	तदैव
29	सहायक लेखाकार मानदेय सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
30	कृषि यंत्रीकरण	तदैव	तदैव	तदैव
31	जैविक योजना	तदैव	तदैव	तदैव
32	रा0सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
33	कृषक महोत्सव	तदैव	तदैव	तदैव
34	आय–व्यय बचत सम्बधि पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
35	मासिक व्यय विवरण	तदैव	तदैव	तदैव
36	उपयोगिता प्रमाण पत्र	तदैव	तदैव	तदैव
37	क्राप प्रोडक्शन	तदैव	तदैव	तदैव
38	जिला योजना बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
39	मानदेय सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
40	एस0सी0पी0	तदैव	तदैव	तदैव
41	आतमा बजट	तदैव	तदैव	तदैव
42	टी0डी0एस0 सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
43	न0म0सा0 बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
44	रा0खा0सु0मि0 बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
45	राजस्व प्राप्तियों का विवरण	तदैव	तदैव	तदैव
46	उपनल विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
47	गोपन अुनभाग पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
48	जांच पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
49	सीड मिनिकिट	तदैव	तदैव	तदैव
50	बैक पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
51	एन0एम0ओ0ओ0पी0 बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
52	मडुवा बोनस बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
53	उच्चाधिकारियों के निर्देशों से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
54	न0म0सा0स्वायल हैल्थ कार्ड	तदैव	तदैव	तदैव
55	पी0के0वी0वाई0	तदैव	तदैव	तदैव
56	जैविक आदेश	तदैव	तदैव	तदैव
57	कृ0भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट बजट सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव

58	रा0कृ0वि0यो0	तदैव	तदैव	तदैव
59	डी0डी0ओ0 रिकान्सेलेशन	तदैव	तदैव	तदैव
60	बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
61	डी0बी0टी0	तदैव	तदैव	तदैव
62	निदेशालय पत्राचार	तदैव	तदैव	तदैव
63	पी0एम0के0एस0वाई0	तदैव	तदैव	तदैव
64	निर्वाचन सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव
65	जी0एस0टी0 (पैन बैस्ड) पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
66	मोनू कुमार, स्वच्छक से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
67	लेखानुभाग	तदैव	तदैव	तदैव
68	समाधान पोटल सम्बन्धी	तदैव	तदैव	तदैव
69	ई0टैण्डरिंग सम्बधित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
70	जैम पोर्टल पंजीकरण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
71	ई0 आकलन सम्बधि पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
72	पी0आर0डी0सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्रीमती कमल राणा, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1
पटल का नाम– तकनीकी (सामान्य)

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	कृषि यंत्र/ SMAM/PSBY पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	बैठक पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
3	मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा निरीक्षण कमेठी गठन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	मृदा स्वास्थ्य कार्ड/मृदा परीक्षण सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	मैकोमोड योजना	तदैव	तदैव	तदैव
6	अनुसूचित जनजाति विकास कार्यकम	तदैव	तदैव	तदैव
7	विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	बीज ग्राम योजना	तदैव	तदैव	तदैव
9	टास्क फोर्स/बीज सूत्रीय कार्यकम	तदैव	तदैव	तदैव

10	मासिक प्रगति सहकारिता पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11	क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
12	दैवी आपदा/अतिवृष्टि/सूखा सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	काप कटिंग सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	सूचना का अधिकार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16	अखबार कतरन	तदैव	तदैव	तदैव
17	संशोधित सी–डैप योजना	तदैव	तदैव	तदैव
18	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	तदैव	तदैव	तदैव
19	नमसा/बम्बू मिशन/डिम्ड फॉरेस्ट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
21	अर्थ एवं संख्या अधिकारी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
22	वैदर वॉच रिपोर्ट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
23	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
24	जियो टैगिंग सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25	विधान सभा/लोक सभा प्रश्न सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	निरीक्षण/जॉच आख्या सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
27	विडियो कॉन्फेसिंग पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
28	सांसद आर्दश ग्राम पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
29	2022 तक कृषकों की आय दुगूनी करने सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
30	सहर्गीय बैठक सम्बनी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
31	कृषि उत्पाद/हाट बाजार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
32	हाई ग्रोथ सेन्टर (मा0मु0घोषणा सम्बन्धी)	तदैव	तदैव	तदैव
33	फसल वितमान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
34	कृषि विभाग की परिसम्पति का विवरण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
35	दैवीय आपदा (कन्ट्रोल रूम)	तदैव	तदैव	तदैव

36	लाल धान सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
37	डी0बी0टी0 सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
38	लेखा बजट पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
39	बीज दर पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
40	सिंचाई खण्ड सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
41	प्रस्ताव/पत्र पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
42	बहुउद्देशीय शिविर/तहसील दिवस पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
43	जिलाधिकारी बैठक सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
44	मासिक प्रगति प्रतिवेदन पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
45	मानधन योजना सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
46	भारतीय कृषि सेवा गठन सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
47	जैविक समिति सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
48	किसान केडिट कार्ड योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

नाम व पदनाम– श्रीमती कमल राणा, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1
पटल का नाम– तकनीकी (कृषि रक्षा)

क0सं0	पत्रावली का नाम	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रण धीन
1	2	3	4	5
1	उर्वरक गुण नियंत्रण पत्रावली	जॉच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी
2	बाथम बीज भण्डार क्रय पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
3	मै0 रितेश फर्टिलाईजर से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
4	उर्वरक अनुदान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
5	कोर्ट से सम्बन्धित पत्रावली (A To M)	तदैव	तदैव	तदैव
6	लाईसेन्स निर्गमन/नवीनीकरण (सहा0)	तदैव	तदैव	तदैव
7	बीज गुण नियंत्रण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	कृषक आत्महत्या सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

9	अनिल बीज भण्डार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
10	बीज उर्वरक, आ0छापा सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
11	जिला योजना सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
12	बिक्री दर बीज पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
13	सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक क्रय आदेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
14	उर्वरक जोनल कॉन्फ्रेस पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
15	परम्परागत कृषि विकास योजना पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
16	जैविक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
17	बी0ए0डी0पी0/मनरेगा से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
18	बीज पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
19	प्रमोशन ऑफ आर्गेनिक फार्मिग पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
20	माननीय मुख्यमंत्री, घेरबाड़/जंगली जानवरों से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
21	कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
22	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
23	बीज अनुदान पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
24	मा0मु0मंत्री/प्र0मंत्री कार्य से सन्दर्भित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
25	उर्वरक सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
26	मा0मुख्यमंत्री हेल्पलाईन/समस्या समाधान पोर्टल से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
27	वीर शिरोमणि, माधोसिंह भण्डारी IMA Village से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
28	खुशी एग्रो ट्रेडर्स, टनकपुर से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
29	सेवा का अधिकार	तदैव	तदैव	तदैव
30	सिविल पिटीशन 108/18 PPA ज्ञानखेड़ा से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
31	श्री रघुवर बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
32	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैविक	तदैव	तदैव	तदैव

	से सम्बन्धित पत्रावली			
33	ट्रान्सपोर्ट शिक्योरिटी सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
34	पी0एम0 किसान सम्मान निधि पत्रावली (प्राप्त बिल)	तदैव	तदैव	तदैव
35	विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
36	कृषकों/क्षेत्र से प्राप्त शिकायत सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
37	प्रधानमंत्री किसान सम्मान शासनादेश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
38	जिला सहायक निबन्धक सह0 समितियों से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

–:: मैनुअल–7 ::–

(किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

1– लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें:–

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रपंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाता हैं तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता हैं।

2– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था:–

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला जलागम समिति/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता हैं। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत हैं।

3– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था:–

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यक्रमों का कियान्वयन जिला जलागम समिति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता हैं। विभिन्न योजनाओं के संबन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठायें गये प्रष्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों में भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रष्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल सभंव न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं जॉचोंपरान्त गुणदोश के आधार पर षिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता हैं।

राज्य स्तरीय अन्तर कार्यान्वयन समिति के कार्य :–

1. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की तकनीकी विस्तार प्रबन्धन समिति के साथ जो कि मानव संसाधन विभाग के कार्य कलापों का दिशा निर्देशन जनपद स्तरीय तकनीकी विस्तार कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी।
2. आत्मा द्वारा अधिग्रहित किए गए कृषि प्रसार शोध के कार्य कलापों की देखरेख साथ–साथ सहयोग भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर विभागीय मामलों जिसमें कृषि एवं सहभागिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करेगी।
3. समिति राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्य एवं सम्बन्धित विभागों के तकनीकी हस्तान्तरण में समेकित प्रयास को बढ़ावा देना व सामंजस्य स्थापित करेगी।
4. सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा विपणन, निवेश एवं ऋण प्रदाय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी/सहकारिता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार से सम्बन्धित आवश्यक सुधार प्रकिया को बढ़ावा देगी साथ ही आपसी तालमेल को भी प्रभावी रूप से स्थापित करेगी।
5. आत्मा के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित नए सिद्वान्तों एवं संस्थागत व्यवस्था को आत्मसात करेगी।
6. परियोजना के सफल संचालन से सम्बन्धित अन्य नीतियॉ जो कि यथा समय आवश्यक हो, को कार्य रूप से परिणित करेगी।

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः 1250/xxx.1/2005
देहरादून दिनांकः 18 अगस्त 2005
कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना 'support to state extension programme for extension reforms' के अर्न्तगत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रसार निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को state Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI) घोषित करने एवं जनपद देहरादून, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (Agriculture Technology Management Agency-A.T.M.A) की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियॉ निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI) यह संस्थान 'support to state extension programme for extension reforms' के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन के लिए शीर्ष स्तरीय मार्गदर्शी एवं सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके मुख्य कार्य **निम्नलिखित होंगेः–**

1. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि प्रसार कर्मियों की क्षमता का उन्नयन।
2. परियोजना नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्श प्रदान करना एवं तत्सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिर्पोट निर्मित करना।
3. मानव एवं भौतिक संस्थान के बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं की प्रभाववत्ता में सुधार हेतु Management Tools का विकास एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना।

4. मध्य कम एवं निम्न कम के कृषि प्रसार कर्मियों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन।

5. प्रशिक्षण, कार्यकमों के संचालन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर Management, Communication rFkk Participatory Methodologies vkfn ds Management Module का विकास।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक–पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ–साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. संयुक्त कृषि निदेशक	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य/सचिव सह कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन हेतु निर्धारित शर्ते :–

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।
3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः–

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Stratcgic Research and Extension Plan SREP) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्ष एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिविदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।
4. फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) एवं कृषक संघो का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं जिनी फर्मो की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें, उपलब्ध कराने हेतु सहभगिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ–साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।
8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवष्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मो/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाऊ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।
10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढे एवं एक समय सीमा के अर्न्तगत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तद्नुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवष्यकतानुसार संषोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगाः–

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य

5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान प्राधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य

उपरोक्त कमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप :–

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

1. विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों (Socio-economic groups) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय–समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory rural appraisal) सम्बन्धी कार्य करना।
2. जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिश्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताऐं भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।
3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संसोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें Technology Dissemination Unit (TDU) को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यन्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, Zonal Research Station, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।
6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे Farm Information and Advisory Centres (FIAC) को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण कियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।
7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध, प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्व वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्षित हों।
8. शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिषा निर्देषों पर सम्यक कार्यवाही करना।

ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र

Farm Information and Advisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अर्न्तगत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अर्न्तगत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों {Enterprises} एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम :– यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7. सहायक विकास अधिकारी रेशम।
8. उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुखिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्यः– ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (SREP) का कियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (Single window extension system) के रूप में कार्य करना।
2. SREP में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।
3. ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तृत प्रसार कार्यक्रम सम्मिलित हो तैयार करना।
4. ब्लाक कार्य योजना के अर्न्तगत प्रसार कार्यक्रमो के कियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
5. ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फामर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघो का गठन करना।

(ख) कृषि सलाहकार समितिः– कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकास खण्डवार इन प्रगतिशाील कृषकों से लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गो के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1. सामान्य कृषक	सदस्य
2. अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3. कृषक उद्यान	सदस्य
4. महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5. पशुपालन कृषक	सदस्य
6. पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7. महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8. कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9. कृषक निवेश विक्रेता	सदस्य
10. कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11. कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कतिपय वर्गो के कृषक शामिल होने से रह गये है तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें। समित के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय क्रम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्यः–

1. समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेंगी।
2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।
3. शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।
4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसकों सुझाव देगी।
5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।
6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर Farmers intersst group एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय

ATMA Governing Board (GB)

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक–पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ–साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी।

शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगाः–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र/जोनल रिसर्च सेन्टर के प्रतिनिधि	सदस्य

5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. परियोजना निदेशक, ATMA	सदस्य/ सचिव–सह कोषाध्यक्ष

<u>सदस्यों की नियुक्ति /मनोनयन हेतु निर्धारित शर्तेः–</u>

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यताः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।
3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः–

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Strategic Research and Extension plan - SREP) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।
4. फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) एवं कृषक संघों का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं निजी फर्मो की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ–साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मो/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाऊ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।
10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़े एवं एक समय सीमा के अर्न्तगत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सकें।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवष्यकता अन्य संस्थाओं के तद्नुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संषोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

ATMA Management Committee (MC)

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगाः–

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक, ATMA	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य
12. सहायक निबन्धक, सहकारिता समितियॉ	सदस्य
13. अन्य रेखीय विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त कमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलापः–

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगाः–

1. विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों (Socio-econoic groups) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय–समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory rural appraisal) सम्बन्धी कार्य करना।

2. जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक षोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल में ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताऐं भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।

3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संशोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें Technology Dissemination unit (TDU) को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना

5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग Zonal Research Station, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGS)/कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।

6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे Farm Information and Advisory Centres (FIAC) को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण कियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।

7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्व वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हो।

8. शासी निकाय को सचिवालवीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देश पर सम्यक कार्यवाही करना।

ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्ष केन्द्र

Farm Information and Adviisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राधिकारी प्रबन्धन अभिकरण के अर्न्तगत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अर्न्तगत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों Enterprises, एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीमः– यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7. सहायक विकास अधिकारी रेषम।
8. उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुखिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्यः– ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (SREP) का कियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (Single window extension system) के रूप में कार्य करना।
2. SREP में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।
3. ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तुत प्रसार कार्यकम सम्मिलित हों तैयार करना।
4. ब्लाक कार्य योजना के अर्न्तगत प्रसार कार्यकमों के कियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
5. ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फामर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघो का गठन करना।

(ख) कृषक सलाहकार समितिः– कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकासखण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से कर लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गो के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1. सामान्य कृषक	सदस्य
2. अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3. कृषक उद्यान	सदस्य
4. महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5. पशुपालक कृषक	सदस्य
6. पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7. महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8. कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9. कृषक, निवेश विक्रेता	सदस्य
10. कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11. कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कतिपय वर्गो के कृषक शामिल होने से रह गये है तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें।

समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय क्रम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्यः–

1. समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी।
2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।
3. शसी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।
4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसको सुझाव देगी।
5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवष्य होगी।
6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर Farmers interest group एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

–:: मैनुअल–8 ::–

जैविक कृषि – एक परिचय

कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता हैं परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलांए जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सके और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

''जैविक कृषि वह पद्वति है, जहॉ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता हैं।

इस पद्वति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता हैं।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे–धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीढ़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुऐ अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधें को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक्र अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित

थां। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋगवेद) से पता लगता है कि 1000 ई0पू0 वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 60 कुन्तल तक लिया जाता था। सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि क्रियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे है।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू–राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं।

वर्ष 1941–42 में आधारभूत खद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित (Comprehensive and integrated) नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फ्रेंस में ''अधिक अन्न उपजाओं अभियान'' चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खाद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यक्रम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (ऋण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगें। इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिट्टी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थो (पौधे–पत्तियों, अड्डी, रूधिर, सड़े–गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यक्रम चलाए गये। इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यक्रम चलाए जाने के साथ–साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे ''अधिक अन्न उपजाओं'' अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.–64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देष में 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिकन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता तााि उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा प्रशिक्षण एवं भ्रमण (Training & Visit) प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देष में हरित क्रांति आयी जो सराहनीय एवं चिरस्मरणीय हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी हैं। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया हैं। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (हयूमस) की कमी होती जा रही हैं। हरित क्रांति के पहले हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत् जीवांश कार्बन थे, जो धीरे–धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया हैं। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक हैं।

ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर–13 में ऐजेन्डा–21ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्वि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा; आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक हैं। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि/जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों–पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्वि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम ''कृषि'' या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन (Organism) के रूप में देखा गया हैं। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पषु, उद्यान, जड़ी–बूटी, मोम, मित्र–कीट और स्वयं मनुष्य सभी अंग मिलकर ''कृषि'' का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभविक हैं। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग,

अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के असंतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक हैं।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्व औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहॉ कृषि सम्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक–चक्र, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।

औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हानिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डा0 रूडोल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ–साथ मनुष्य की वेचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925–1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्वति को जन्म दिया यह पद्वति ''इन्दौर खाद'' के नाम से भारत के इन्दौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने ''स्वाइल एसोसिएशन'' (Soil Association) की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पयार्वरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में IFOAM (जैविक कृषि आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15–20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा हैं।

भारत में जैविक कृषि

8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा ''राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)' का आरम्भ हुआ। एन0पी0ओ0पी0 के प्रथम चरण (1998–99) में राष्ट्र स्तरीय ''टास्क फोर्स'' का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकडों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बडे बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसालें, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे–छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तराखण्ड ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001–02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया हैं। कृषि मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 5–13/2001–मैन्योर्स के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैं। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तराखण्ड, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर–पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उड़ीसा, हिमाचंल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात

तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाषकों का प्रयोग होता हैं।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएषन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायनैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायनैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

उत्तरांचल में जैविक कृषि

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेष के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू–भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर हैं। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह तथा अन्य वृक्षों, झाड़ियों बागों आदि के अर्न्तगत 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 3.47 लाख हैक्टेयर (50.06 प्रतिशत) हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं। उत्तराखण्ड राज्य में कुल उर्वरक खपत 101 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक खपत मात्र 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा मैदानी भूभागों में लगभग 200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हैं। राज्य के मैदानी जनपदों में सामान्य कृषि पद्वति में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से जहॉ खाद्यानों की पौष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं। जनपद अल्मोड़ा के अधिकांश विकास खण्ड़ों में मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भूमि में जीवांश कार्बन न्यून स्तर (25 से 30 प्रतिशत) पर पहॅुच गया हैं। इस परिस्थितियों को देखते हुए जैविक कृषि ही वर्तमान की आवश्यकता हैं। प्रदेश के गठन के पश्चात् यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि वन एवं ग्राम विकास दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश में एक दूसरे के पूरक है। हां एक ओर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामवासी कृषि के लिए वन पर पूरी तरह निर्भर हैं वहीं पौराणिक काल से ग्रामवासियों द्वारा जंगल को धरोहर का स्थान दिया गया हैं।

पहाड़ो में विकट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, कृषि क्षेत्र में ''हरित क्रान्ति'' का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। कृषि मात्र भरण पोषण के लिए रह गई। इस प्रकार कृषि में आय न होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी मात्रा में मनुष्यों का पलायन होता रहा जिससे कृषि के घटकों यथा उद्यान, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। पारम्परिक उद्यान के क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में आलू, सब्जी व फल के बगीचे हैं वहां भी किसी भी प्रकार से भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं हो पाये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते रसायनिक उर्वरक के प्रयोग से जहां एक ओर उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही हैं, वहीं बीमारियों व कीटों की समस्याएं बढ रहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि किसी भी प्रकार की तकनीकी विकास (आधुनिक या जैविक) से वंचित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रदेष के मैदानी क्षेत्रों में लगातार रसायनिक पदार्थो के प्रयोग से कृषि भूमि का जीवांश स्तर तेजी से गिरता चला जा रही है, (Report-CES)।

उत्तरांचल में जैविक या टिकाऊ कृषि को महत्वपूर्ण बल देना भले ही नया मंत्र लग रहा हैं, परन्तु 1992 में रियो डिजनेरों में हुए यू0एन0सी0इ0डी0 (United Nation Conference on Environment and Development) में भारत ने 189 देशों के साथ मिलकर एजेण्डा–21 पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें अध्याय 13 के अर्न्तगत पहाड़ों में टिकाऊ कृषि व विकास के बारे में विवरण दिया गया हैं, इसमें कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। साथ ही टिकाऊ कृषि व ग्राम्य विकास (SARD) के आदर्श क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें, तो बाहर से भारी कीमत पर आयातित रसायनिक खाद, परिवहन व ढुलान पर आने वाले खर्च, रसायनिक उर्वरक, के प्रयोग के दूरगामी दुष्प्रभावों व कृषि कार्ये में आवश्यकतानुसार रसायनिक खाद की कई कारणों से अनुपलब्धता ही जैविक खाद के पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत, अर्थात ग्राम–स्तर पर ही उत्पादन तथा भरपाई की जा सकेगी। जैविक खाद के सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उसके व्यापक उपयोग से ही उत्तराखण्ड को एक कृषि –आधारित, प्रदूषण–विहीन, स्वास्थ्यवर्धक और स्वावलम्बी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वन–केन्द्रित होने के साथ–साथ जैविक खाद उत्पादन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में वन विभाग, डेयरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग को ग्राम्य विकास के द्वारा गांवों में गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, कृषक समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी गन्ना समितियों, महिला डेरी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित करने के वृहद प्रयास किये जायेंगें।

जैविक कृषि विकास की नजरों से अगर पहाड़ों की कृषि देखी जाए तो हम पाते है कि प्रदेश के वनों से लगभग 10 मिलियम मैट्रिक टन जैव–अवशेष विभिन्न जंगली पेड़ जैसे बांस, चीड़, देवदार, साल इत्यादि से पाये जाते है। यह महत्वपूर्ण जैव–अवशेष पौराणिक काल से पारम्परिक खाद बनाने के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इस परम्परा को उन्नत एवं उपयुक्त तकनीक से बेहतर बनाने की बहुत अधिक संभवानाएं पायी गयी है। वर्ष 2001 से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चल रही टी0टी0डी0सी0 (तकनीकी स्थानान्तरण व विकास केन्द्र) योजना में पाया गया है कि बेहतर तकनीकी से न केवल खाद की गुणवत्ता बढ़ती हैं, साथ ही जैव अवशेष के पूर्ण सड़न से कीड़े व भूमि सम्बन्धी बीमारियों में भी कमी पायी जाती हैं। महिलाओं के लिए पारम्परिक खाद की तुलना उच्च गुणवता के कम्पोस्ट खेतों तक पहुंचाने के समय में व ढुलान में लगने वाली मेहनत मे भी महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया हैं।

उत्तरांचल के कृषि विकास क्षेत्र में जैविक की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सीमान्त कृषक लाभान्वित रहेंगें। साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन होने की सम्भवना भी अधिक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की क्रियाओं को पार करके जैविक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता होने से कृषक को अपने उत्पाद का यथोचित मूल्य मिलने की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने से कृषकों की लागत कम किये जाने की आशा हैं, एवं यह कृषि भूमि को सुधारने का एक सरल उपाय भी हैं।

जैविक ग्राम में जैविक कृषि प्रबन्धन

2.1. जैविक ग्रामः परिभाषा

'' ऐसे ग्राम जहॉ कृषक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, तथा कृषि रसायनों के दुष्प्रभाव को देखते हुये जैविक कृषि की महत्ता को अंगीकार कर लिये हैं, और जहां विभिन्न जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियॉ अपनाई जा रही हैं।''

2.2. जैविक कृषि के अर्न्तगत क्या करें, क्या न करें:

2.2.1 कृषि एवं उद्यान

क्या करें ; Don's)

1. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता को जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं।
2. कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव–अवशेष तथा बायो एजेन्ट (Bio-Agent) के प्रयोग से निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाषी का प्रयोग करें।
3. केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें।
4. जैव उर्वरकों (राइजोबियम, ऐजेटोबैक्टर, ऐजोस्पाइरिलम, पी0एस0बी0 आदि) का प्रयोग संस्तुति के आधार पर करें।
5. रासायनिक तत्वों से मुक्त (Free) जल से फसलों की सिंचाई करें।
6. हरी खाद का प्रयोग करें।
7. वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
8. गर्मी में गहरी जुताई करें।
9. फसलों/औद्योगिक वृक्षो की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।
10. फसलों/फल वृक्षों के रोग कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी, एन0पी0वी0, बायो– पेस्टीसाइड, जैविक–बीजोपचार (सूर्यकिरण, गर्मजल उपचार आदि) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।
11. बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।
12. खरपतवार नियंत्रण हेतु समय पर निराई–गुड़ाई, स्टेल फार्मिग, समय पर बुवाई/रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन, अन्तः फसल (Inter cropping) पद्धति को अपनाएं।
13. मल्चिंग (Mulching) हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। इससे नमी संरक्षण के साथ–साथ खरपतवारों पर भी नियंत्रण होगा।
14. कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) को अपनांए।
15. नाइट्रोजन स्थिरकारी (Nitrogen Fixing) पौधों, यथा एकेसिया जैसी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।
16. जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा दें।
17. फसलों/फसलों की कटाई/तुड़ाई भौतिक परिपक्न अवस्था (Physical maturity stage) पर करें। जिससे अगली फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य क्रियाओं हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।
18. फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।
19. उत्पाद की समुचित सफाई, छटनी (Grading) एवं प्रसंस्करण करें।
20. उत्पाद को परम्परागत जैविक विधि से भंडारित करें।
21. विविधीकृत कृषि (Deversified Farming) को बढ़ावा देना। जैसे फसलोत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जड़ी–बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।
22. जैविक बाढ़ (Bio-Fancing) को बढ़ावा दें।

23. मधुमक्खी पालन इकाई की प्रक्षेत्र पर स्थापना करें। जिससे फसलों/फलों के परागगण (Pollination) को बढ़ावा मिलें।
24. जल एवं भूमि संरक्षण की प्राकृतिक पद्धतियों को अपनायें।

<u>क्या न करें (Don's):</u>

1. रासायनिक उर्वरकों/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2. फसल अवशेष/जैव अवशेष को न जलायें।
3. कारखानों के प्रदूषित जल/सीवेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4. खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की सरंचना को कम से कम हानि पहुॅचाएं।
5. पर्यावरण (जल, भूमि एवं वायुमण्डल) प्रदूषित करने वाली पद्धतियों को न अपनायें।
6. मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुंचायें।
7. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न कि पौधों को जड़ से उखाड़ें।
8. प्रतिवर्ष एक ही फसल न लगाएं।
9. बिना मार्ग दर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लाएं।

<u>जैविक ग्राम एवं कृषक के मानक, चयन एवं पंजीकरण</u>

2.3. जैविक ग्राम का चयन :

भविष्य में जैविक ग्रामों का चयन प्रत्येक योजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विकास खण्ड के सहयोग से, स0वि0अ0 (कृषि) तथा मुख्य कृषि अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2.4, जैविक ग्राम के मानक :

2.4.1, जैविक ग्रामों के कृषक जैविक कृषि से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी में रूचि रखते हों।

2.4.2, ऐसे ग्राम जहां बाजारोम्मुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हों। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।

2.4.3, ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।

2.4.4, ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन :

2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।

2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो–गोवंशीय पशु हों।

2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रकिया :

2.6.1. विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अर्न्तगत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

2.6.2. जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.6.3. पंजीकरण शुल्क रू0 25.00 (पच्चीस रूपये मात्र) प्रति हैक्टेयर होगा। पंजीकरण धनराशि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कृषकों से वसूल की जायेगी तथा कृषकों को प्राप्ति रसीद (रूपपत्र–7) उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।

2.6.4. पशुपालन : जैविक पशु पालन के अर्न्तगत दुधारू पशुओं का भी पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क रू0 2.00 मात्र प्रति पशु होगा। जैविक दुग्ध उत्पादन की आगामी योजना के लिए पूर्ण रूप से जैविक मानकों के आधार पर दूध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक डेयरी/दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया जाना आवश्यक हैं।

2.6.5. पंजीकरण शुल्क की धनराशि का उपयोग :

जैविक कृषकों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क/धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत समिति की सहमति के उपरान्त केवल जैविक कृषि कार्यो के प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार हेतु ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व

2.7. मुख्य विकास अधिकारी :

2.7.1. जैविक ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमोदन।

2.7.2. जैविक ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यो/योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर कियान्वयन।

2.7.3. जैविक ग्रामों में कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा मासिक समीक्षा और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर शासन को समय पर उपलब्ध कराना।

2.8. मुख्य कृषि अधिकारी :

2.8.1. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर की सहायता से जैविक ग्रामों का चयन करना।

2.8.2. जैविक गामों में कियान्वित विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तकनीकी समन्वयकों से सांमजस्य स्थापित कर जैविक कृषि कार्यक्रम में गति लाना।

2.8.3. मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना।

2.8.4. योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को गति प्रदान करना।

2.8.5. जैविक कृषि कार्यक्रमों की मासिक समीक्ष एवं निरीक्षण कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।

2.8.6. जनपद स्तर पर जैविक कृषि पर कार्यशाला, गोष्ठी/मेलों इत्यादि का आयोजन करना।

2.8.7. जनपद स्तर पर ''जैविक कृषि पण्डित'' के पुरस्कार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्नतिशील जैविक कृषकों को सूचीबद्व करते हुए नियमानुसार चयन करना।

2.8.8. विकास खण्डों से कार्यक्रम की ''सफलता की कहानी (Success story)'' का संकलन एवं प्रेषण।

2.8.9. कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव।

2.9 खण्ड विकास अधिकारी :

2.9.1. जैविक कृषि कार्यक्रमों को तत्काल अन्य योजनाओं को साथ संयोजित (Tieup) करते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना।

2.9.2. विकास खण्ड के अर्न्तगत संचालित जैविक कृषि कार्यक्रमों का समयबद्व रूप से निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को आख्या/रिपोर्ट प्रेषित करना।

2.9.3. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिशीलता प्रदान करना।

2.9.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों की ग्राम स्तरीय बैठकों में समीक्षा करना।

2.9.5. जैविक ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संकलित कर उच्चाधिकारियों का प्रेषित करना।

2.9.6. जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी/मेला, प्रचार–प्रसार आदि हेतु भरपूर सहयोग प्रदान करना।

2.9.7. जनपद स्तरीय ''जैविक कृषि पण्डित'' के पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों के प्रस्ताव को प्रेषित करना।

2.9.8. कार्यक्रम के विभिन्न विधायों के अच्छे कार्यो की सफलता की कहानियों को संकलित कर प्रेषित करना।

2.10 सहायक कृषि अधिकारी–

2.10.1 जैविक ग्रामों का मानक के अनुसार चयन करना।

2.10.2 जैविक कृषि कार्याक्रमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण, अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

2.10.3. कृषकों के पंजीकरण में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।

2.10.4. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना एवं जैविक ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना।

2.10.5. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देना, उनका प्रोत्साहन तथा समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

2.10.6. कार्यक्रम हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करना एवं रखरखाव।

2.10.7. सफलता की कहानियां, फोटोग्राफी आदि का संकलन एवं प्रेषण।

2.11. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी :

2.11.1. जैविक कृषकों का सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं मास्टर ट्रेनर के सहयोग से पंजीकरण करना।

2.11.2. निर्धारित पंजीकरण शुल्क कृषकों से प्राप्त कर उन्हें रूपपत्र–7 प्रदान करना।

2.11.3. पंजीकरण शुल्क को ग्राम पंचायत कोष में जमा करना।

2.12. बी0टी0एम0/जैविक कृषि कार्यकर्ता :

2.12.1. जैविक कृषकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जैविक कृषि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

2.12.2. जैविक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना।

2.12.3. विभिन्न जैविक प्रयोगों को कृषकों के साथ मिलकर क्रियान्वित करना।

2.12.4. सहायक कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यो को समयान्तर्गत सम्पादित करना।

2.12.5. जैविक कृषकों, आच्छादित क्षेत्रफल, जैविक उत्पाद आदि का लेखा जोखा रखना। जैविक कृषकों की डायरी, जैविक ग्राम की डयरी एवं अभिलेखन पुस्तिका का अवलम्बन करना।

2.12.6. जैविक कृषकों का प्रोत्साहन एवं समय–समय पर मार्गदर्शन करना।

2.12.7. जैविक कृषकों की समस्याओं एवं अन्य चुनौतियों से सहायक कृषि विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/तकनीकी समन्वयक को अवगत कराना।

जैविक कार्यक्रम : परामर्श एवं तकनीकी सहयोग

2.13. कृषि निदेशालय

2.13.1. समस्त जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य की रूपरेखा तैयार करना।

2.13.2. जैविक ग्राम की कार्य योजना बनाना।

2.13.3. प्रचार–प्रसार साहित्य, नारे (Slogan) इत्यादि प्रकाषित करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

2.13.4. राज्य स्तर पर जैविक कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

2.13.5. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत करना।

2.13.6. जैविक ग्रामों की सफलता की कहानियां (Success Stories) का संकलन करना।

2.13.7. राज्य स्तर पर ''जैविक कृषि पण्डित'' पुरस्कार हेतु उन्नतिशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।

2.13.8. प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन,/डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।

2.13.9. प्रदेष स्तरीय गोष्ठी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन कराना।

2.13.10. मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

2.13.11. जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी0पी0पी0 इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद :

2.14.1. समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।

2.14.2. समस्त मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।

2.14.3. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।

2.14.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।

2.14.5. जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।

2.14.6. विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

2.14.7. जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2.14.8. जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।

2.14.9. प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान (NGO) स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।

2.14.10. इन प्रयासो की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।

2.14.11. जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुॅचाना।

2.14.12. नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद :

2.15.1. प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।

2.15.2. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नारे (Slogan), बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :

2.16.1. जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।

2.16.2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र कियान्वित करना।

2.16.3. जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

जैविक कृषि कैसे अपनायें – कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में हरित क्रान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सभी कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी जैविक पद्वति (बिना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता हैं। रसायनों के प्रयोग को पूर्णत' प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक्र, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यो के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विष्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थो के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ हैं। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग हैं।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता हैं अव्वल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं

पर्यावरण संतुलन को सुधारना हैं। जब कृषक दो–तीन फसल चक्रों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता हैं।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे–धीरे कम होती चली जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव हैं।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद प्राप्त कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वाबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए सुनिश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते है, उनके लिए जैविक कृषि में रूपान्तरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियां का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता हैं। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता हैं।

उदाहरणतः हम उत्तराखण्ड में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते है कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विक्रय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी हैं। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव हैं। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता हैं। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती है।

इस प्रकार जैविक कृषि में रूपान्तरण हेतु सबसे पहले

- ❖ कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।
- ❖ उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें–

(1) परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता हैं।
(2) पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती हैं।
(3) पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।

(4) पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता हैं।
(5) कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता हैं।
(6) पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती हैं।
(7) भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता हैं तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता हैं।
(8) नाईट्रोजन (नत्रजन), फास्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता हैं।
(9) निर्देशित उचित फसल चक्र, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ–साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।
(10) आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक्र व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।
(11) कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए ''खाद उद्योग'' का दर्जा दे सकता हैं। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती हैं।

इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ–मूत्र जैसे पदार्थे के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक किया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी हैं। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रकिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से ही एक छोटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यो की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि व विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रकिया अत्यन्त सरल हो जाती हैं।

जैविक कृषि अपनाते समय कृछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता हैं। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करे। इससे जैविक उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संक्रमण कम हो जाती हैं।

2. सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैसर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।

3. सामान्तर उत्पादन के लिय प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रूकावट नहीं बनती हैं।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों व विभिन्न क्रियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता हैं।

यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हों।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (TQM-Total Quality Management) में भी सहायक होता है।

लघु व सीमान्त कृषकों के लिए यूँ तो प्रमाणीकरण प्रक्रिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।

पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाऐं विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता हैं। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद (High Value Product) का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

जिला योजना / राज्य योजना / केन्द्र पोषित / बाह्य सहायतित योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण वर्ष 2021–2022

जनपद– चम्पावत। माह– मार्च 2022 (धनराशि लाख में)

विभाग का नाम कृषि विभाग

क्र0 सं0	योजना / मद / कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर से अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	वित्तीय प्रगति – व्यय – सामान्य – मात्रा कृत	सामान्य – प्राप्त आवंटन	सामान्य – क्रमिक व्यय	अनु0 जाति – मात्रा कृत	अनु0 जाति – प्राप्त आवंटन	अनु0 जाति – क्रमिक व्यय	अ0 ज0जाति – मात्रा कृत	अ0 ज0जाति – प्राप्त आवंटन	अ0 ज0जाति – क्रमिक व्यय	भौतिक प्रगति – विभाग– योजना / मद / कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि – माह में	उपलब्धि – क्रमिक	1.4.2021 को अवशेष
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
जिला सेक्टर																				
	1. सीड मिनीकिट वितरण	5.00		5.00	5.00	4.50	4.50	4.50				0.50	0.50	0.50	1. सीड मिनीकिट	सं0	1375			
	2. कृषि यंत्र वितरण (पावर वीडर / टिलर)	57.00		57.00	57.00	25.00	25.00	25.00	28.00	28.00	28.00	4.00	4.00	4.00	2. कृषि यंत्र वितरण(पावर	सं0	57	27	47	
	3. बीज एवं पौध सुरक्षा कार्य	6.00		6.00	6.00	5.50	5.50	5.50				0.50	0.50	0.50	3. बीज एवं पौध	है0	1000			
	4.मृदा परीक्षण	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50							4.मृदा परीक्षण	सं0	200			
	5. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							5. मृदा एवं जल	है0	7768	6245	6245	
	योग जिला सेक्टर	72.50	0.00	72.50	72.50	39.50	39.50	39.50	28.00	28.00	28.00	5.00	5.00	5.00	योग जिला सेक्टर					
राज्य योजना																				
1	सूचना सलाह केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण	0.55	0.55		0.55	0.55	0.55	0.55							1. कृषि निवेश भ0का सुदृढ़ीकरण की योजना	सं0				
2	अनुसूचित जाति / जनजाति	30.90	30.90		30.90				21.80	21.80	21.80	9.10	9.10	9.10	2. प्रयोगशाला	सं0				
3	कृषि निवेश केन्द्र	18.57	18.57		18.53	18.57	18.57	18.53							3. अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य	है0	1793.00	1500.00	#####	
4	प्रयोगशाला संचालन	1.98	1.98		1.98	1.98	1.98	1.98							4. जलपम्प,पॉलीहाउस,स्प्रिंकलरसेट विविधिकरण योजना	सं0				
5	कृषि रक्षा रसायन	6.80	6.80		6.45	6.80	6.80	6.45							खाद्यान्न सुरक्षा	है0				
6	बीज ढुलान	4.90	4.90		4.87	4.90	4.90	4.87							6.स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम					
	योग–	63.70	63.70	0.00	63.28	32.80	32.80	32.38	21.80	21.80	21.80	9.10	9.10	9.10						

मुख्य कृषि अधिकारी
चम्पावत

क0 सं0	योजना / मद / कार्यक्रम का नाम	वित्तीय प्रगति													भौतिक प्रगति					1.4.2021 को अवशेष
		अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर से अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	व्यय									विभाग– योजना / मद / कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		
						सामान्य			अनु0 जाति			अ0 ज0जाति								
						मात्रा कृत	प्राप्त आवंटन	क्रमिक व्यय	मात्रा कृत	प्राप्त आवंटन	क्रमिक व्यय	मात्रा कृत	प्राप्त आवंटन	क्रमिक व्यय				माह में	क्रमिक	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	सबमिशन आन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (SMSP) अ) बीज ग्राम योजना	10.87	3.00		3.00	3.13			0.97						सबमिशन आन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (SMSP) अ) बीज ग्राम योजना	कु0	~~144~~ 442		37.25	
10	स्वायल हैल्थ मैनेजमेंट योजना														स्वायल हैल्थ कार्ड	सं0				
11	स्वायल हैल्थ कार्ड योजना(रा0म0उ0मि0)	2.98	2.98		2.16															
12	पी0के0वी0वाई0(रा0क0वि0)	161.03	161.03		137.98										पी0के0वी0वाई0	सं0	125		125	
13	बी0एफ0डी0पी0														बी0एफ0डी0पी0	है0				
	योग केन्द्र पोषित	1043.52	779.08	0.00	729.07	32.82	12.84	12.70	10.54	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00						0.00
महायोग (जिला + राज्य / केन्द्र)		1179.72	842.78	72.50	864.85	105.12	85.14	84.58	60.34	53.41	53.41	14.10	14.10	14.10						

मुख्य कृषि अधिकारी
फर्रुखाबाद

योजना/मद/कार्यकम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर से अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	वित्तीय प्रगति – व्यय – सामान्य – मात्रा कृत	सामान्य – प्राप्त आवंटन	सामान्य – क्रमिक व्यय	अनु0 जाति – मात्रा कृत	अनु0 जाति – प्राप्त आवंटन	अनु0 जाति – क्रमिक व्यय	अ0 ज0जाति – मात्रा कृत	अ0 ज0जाति – प्राप्त आवंटन	अ0 ज0जाति – क्रमिक व्यय	भौतिक प्रगति – विभाग–योजना/मद/कार्यकम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि – माह में	उपलब्धि – क्रमिक	1.4.2021 को अवशेष	अवशेष के सापेक्ष व्यय
2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			–																	
1. जैविक कृषि कार्यकम	38.12	28.00		22.16										1. जैविक कृषि कार्यकम	सं0					
2. भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यकम														2. भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यकम	है0					
3. कृषि यन्त्रीकरण/पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलोजी मिशन/रा0सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना														3. कृषि यन्त्रीकरण/पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलोजी मिशन/रा0सूक्ष्म	स0					
4. फसलोत्पादन धान/गेहू (सूक्ष्म पोषक तत्व/कृषि रक्षा रसायन)	45.96	6.48		6.42										4. फसलोत्पादन धान (सूक्ष्म पोषक	है0					
5 आई0पी0एम0														5 आई0पी0एम0	है0					
6 मृदा हैल्थ कार्ड														6 मृदा हैल्थ कार्ड	सं0					
7 घेरबाड़ कार्यकम	65.00	65.00		65.00										7 घेरबाड़ कार्यकम	मी0					
8. कृषक महोत्सव रबी														8. कृषक महोत्सव रबी	सं0					
9. एकीकृत जल संभरण कार्यकम	40.00	40.00		40.00										9. एकीकृत जल संभरण कार्यकम	है0					
महायोग रा0कृ0वि0योजना	**189.08**	**139.48**	0.00	**133.58**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)																				
1. क्लस्टर प्रदर्शन	4.50	4.50		4.50	3.60	3.60	3.60	0.90	0.90	0.90				1. क्लस्टर प्रदर्शन	है0	50				
2. कापिंग सिस्टम आधारित प्रदर्शन	3.90	1.02		1.02	1.50	1.02	1.02	2.40						2. कापिंग सिस्टम आधारित प्रदर्शन	है0	40		10		
3. उन्नत बीज वितरण	1.85				1.33			0.53						3. उन्नत बीज वितरण	कु0	39				
4. एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन	2.63				1.85			0.78						4. एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन	है0	572		100		
5. पौध सुरक्षा रसायन	1.85				1.32			0.53						5. पौध सुरक्षा रसायन	है0	370		65		
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत														6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत						
अ.फार्म इम्पलीमेंट	0.08				0.06			0.02						अ. मानव चालित स्प्रेयर	सं0	10				
ब. मल्टीकाप थ्रेसर	0.60				0.30			0.30						ब. मल्टीकाप थ्रेसर	सं0	2				
7. जल संवहन/प्रयोग यंत्र																				
अ– पाईप वितरण	0.15				0.10			0.05						अ– पाईप वितरण	मी0	300		300		
ब– पम्पसैट	0.40				0.30			0.10						ब– पम्पसैट	सं0	4				
8. प्रशिक्षण	0.28				0.14			0.14						8. प्रशिक्षण	सं0	2				
9.जल संभरण टैंक	2.50				2.50			0.00						10.जल संभरण टैंक	सं0	1		1		
10. विविध	2.90				2.90															
योग	21.64	5.52	0.00	5.52	15.90	4.62	4.62	5.75	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00

मुख्य कृषि अधिकारी
चम्पावत

क्र0 सं0	योजना/मद/कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	शासन से अवमुक्त धनराशि	जिला स्तर से अवमुक्त धनराशि	कूल व्यय	वित्तीय प्रगति – व्यय – सामान्य – मात्रा कृत	सामान्य – प्राप्त आवटन	सामान्य – क्रमिक व्यय	अनु0 जाति – मात्रा कृत	अनु0 जाति – प्राप्त आवंटन	अनु0 जाति – क्रमिक व्यय	अ0 ज0जाति – मात्रा कृत	अ0 ज0जाति – प्राप्त आवटन	अ0 ज0जाति – क्रमिक व्यय	भौतिक प्रगति – विभाग–योजना/मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि – माह	उपलब्धि – क्रमिक	1.4.2021 को अवशेष
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कदन्न)																			
	1. क्लस्टर आधारित मक्का/कदन्न धान्य प्रदर्शन														1. क्लस्टर आधारित मक्का प्रदर्शन	है0				
	2. उन्नत बीज वितरण मक्का	0.06	0.06		0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				2. उन्नत बीज वितरण मक्का	कु0	2			
	3.सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध सुरक्षा सायन/खरपतवारनाशी	0.26	0.02		0.02	0.16	0.02	0.02	0.10						3. मडुवा, सावा, रामदाना बीज वितरण	कु0	50			
	योग	0.32	0.08	0.00	0.08	0.19	0.05	0.05	0.13	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	योग					
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)																			
	1. प्रमाणित बीज वितरण	0.24	0.24		0.24	0.16	0.16	0.02	0.08	0.08	0.08					कु0				
	2. तकनीकी हस्तान्तरण कार्यक्रम	0.84	0.60		0.60	0.84	0.60	0.60								सं0				
	3.सूक्ष्म पोषक तत्व	0.260	0.26		0.26	0.180	0.18	0.18	0.080	0.08	0.08					है0				
	4. कृषि यंत्रीकरण एव सिचाई उपकरण		.																	
	अ– पाईप वितरण	0.30	0.15		0.15	0.20	0.15	0.15	0.10							मी0				
	ब– ट्रैक्टर चालित यंत्र	0.75				0.75										सं0				
	योग	2.390	1.250	0.000	1.250	2.130	1.090	0.946	0.260	0.160	0.160	0.000	0.000	0.000	0.000					
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पौष्टिक अनाज)																			
1	क्लस्टर प्रदर्शन	4.80	4.80		4.80	3.30	3.30	3.30	1.50	1.50	1.50					है0	80		80	
2	अधिक उपजदायी बीज वितरण	1.50	1.50		1.50	1.14	1.14	1.14	0.36	0.36	0.36					कु0	50			
मृदा प्रबन्धन																				
	~~सूक्ष्म पोषक तत्व~~	~~1.45~~	~~0.24~~		~~0.24~~	~~1.13~~	~~0.24~~	~~0.24~~	~~0.32~~							है0	289			
	जैव उर्वरक	0.87				0.68			0.19							है0	289			
पौध सुरक्षा प्रबन्धन																				
	पौध रक्षा रसायन	1.64	1.64		1.64	1.28	1.28	1.28	0.36	0.36	0.36					है0	328			
	खरपतवारनाशी	1.43	1.42		1.42	1.12	1.12	1.12	0.31	0.30	0.30					है0	285			
	5. जल संवहन पाईप	1.92				1.54			0.39							मी0	3840			
	6.एफ0 पी0 ओ0															सं0				
	7. फसल चक आधारित प्रशिक्षण	0.28				0.28										सं0	2		1	
	8.जनपद स्तरीय महोत्सव	1.00				1.00										सं0	1			
	योग	14.89	9.60	0.00	9.60	11.47	7.08	7.08	3.43	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00						
4	आत्मा योजना	101.47	57.30		57.06										आत्मा योजना	सं0				
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर काप)	173.48	173.48		173.48										प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर काप)		120		120	
7	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन(आर0ए0डी0)	235.05	95.05		75.05										राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	है0				
8	सबमिशन आन एग्री मैकनाइजेशन	130.31	130.31		130.31										सबमिशन आन एग्री मैकनाइजेशन	सं0	326		5	

मुख्य कृषि अधिकारी
चम्पावत

–:: मैनुअल–9 ::–
(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)
कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वश्री गोपाल सिंह भण्डारी	मुख्य कृषि अधिकारी	05965	230952	9412922856	–	Caochp-agri-uk@gov.in	कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
2	श्रीमती कमल राणा	सहायक कृषि अधिकरी वर्ग–1	05965	230952	8057192056	–	–	
3	श्री हरीश सिंह भयेडा	सहायक कृषि अधिकरी वर्ग–1	05965	230952	9410308166	–	–	
4	श्री रमेश सिंह बोरा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	05965	230952	9411579213	–	–	
5	श्री पूरन चन्द्र तिवारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	05965	230952	9149274472	–	–	
6	श्री पंचम कुमार	वरिष्ठ सहायक	05965	230952	9456500308	–	–	
7	श्रीमती रेनू भट्ट	कनिष्ठ सहायक	05965	230952	94111116365	–	–	

कार्यालय– जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला लोहाघाट।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री भूपाल सिंह बिष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–1	–	–	9410158761	–	–	जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, लोहाघाट
2.	श्री शेखर चन्द्र भट्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–2	–	–	7310693943	–	–	
3.	कैलाश सिंह	च0श्रेणी	–	–	9927766545	–	–	

आतमा योजनान्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	मोवाईल नं0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री अनुभव रयाल	उप परियोजना निदेशक	05965	230952	09411706127	–	–	कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत
2.	श्री ललित सिंह	लेखाकार	05965	230952	7830599572	–	–	
3.	श्री कमल सिंह दुबडिया	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	05965	230952	08057252683	–	–	
4.	श्री रोहित फोर	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	–	–	07037246633	–	–	कार्यालय विकास खण्ड, पाटी
5	श्री अजय चौकडायत	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	–	–	807332168	–	–	कार्यालय विकास खण्ड, चम्पावत
6	श्री अंकुर कुमार	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	–	–	9917981598	–	–	कार्यालय विकास खण्ड, लोहाघाट
7	श्री अजय देवनाथ	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	–	–	9897047605	–	–	कार्यालय विकास खण्ड, बाराकोट

कार्यालय–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट चम्पावत।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वश्री हिमांशु जोशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	05965	235355	7579035374	–	ascolohaghat@gmail.com	कार्या0कृ0ए0भू0सं0अधि0लोहाघाट
2	श्री आशुतोष सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–1	05965	235355	9411315494	–	–	
3	श्री मनीष चन्द्र नरियाल	स0कृ0अ0 वर्ग–1	05965	235355	8477848758	–	–	
4	श्री जयवीर सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–1	05965	235355	9412410738			
5	श्री प्रेम सिंह कोटलिया	सहायक कृषि अधिकरी वर्ग–2	05965	235355	7060535700	–	–	
6	श्री बहादुर सिंह नयाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	05965	235355	9410175236	–	–	
7	श्री केशव दत्त पालीवाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	05965	235355	9410953477	–	–	
8	श्री महेन्द्र साह	प्रधान सहायक	05965	235355		–	–	
9	श्री दीपक चन्द्र तिवारी	वरिष्ठ सहायक	05965	235355		–	–	
10	श्री चौथी प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	05965	235355	7060337598	–	–	

11	श्री आशुतोष गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	05965	235355	8737876837		–	कार्या0कृ0ए0भू0सं 0अधि0लोहाघाट
12	श्री अंशु गुप्ता	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	7037751000	–	–	
13	श्री सुरजीत सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	7088988146	–	–	
14	श्री राना सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9301481084	–	–	
15	श्री पारस शर्मा	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9627185638	–	–	
16	श्री कुन्दन सिंह मनोला	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	8192837040	–	–	
17	श्री विद्या सागर	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9458120690	–	–	
18	श्री विजय शर्मा	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9045151131	–	–	
19	श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	8057208323	–	–	
20	श्री तेज प्रकाश	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	7500697003	–	–	
21	श्री मनम चौहान	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9837194524	–	–	
22	श्री विशाल कुमार	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9719204829	–	–	
23	कु0 साक्षी पाण्डेय	स0कृ0अ0 वर्ग–3	05965	235355	9760765336	–	–	
24	श्री आनंद सिंह	चतुर्थ श्रेणी	05965	235355	9761439135	–	–	
25	श्री राजेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	05965	235355	9557624500	–	–	

–:: मैनुअल–10 ::–

(प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं)

कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत।

क0सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोपाल सिंह भण्डारी	मुख्य कृषि अधिकारी	95500	29605	
2	श्रीमती कमल राणा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	60400	18724	
3	श्री हरीश सिंह भयेडा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	69000	21390	
4	श्री रमेश सिंह बोरा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	63100	19561	
5	श्री पूरन चन्द्र तिवारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	53600	16616	
6	श्री पंचम कुमार	वरिष्ठ सहायक	35900	11129	
7	श्री रेनू भट्ट	कनिष्ठ सहायक	38100	11811	

कार्यालय–जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला लोहाघाट।

क0सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री भूपाल सिंह बिष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–1	6900	21390	शासनादेश संख्या– 290/XXVII(7)/ 2016 दिनांक 28.12.2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशानुसार
2	श्री चन्द्र शेखर भट्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–2	56900	17639	
3	कैलाश सिंह	अनुसेवक	39200	12152	

आतमा योजनान्तर्गत मानदेय कर्मियों का पारिश्रमिक विवरण जनपद– चम्पावत।

क0सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुभव रयाल	उप परियोजना निदेशक	22000	–	शासनादेश संख्या 388/X111-1/2015-3(13)2010 टीसी दिनांक 02 मार्च 2016
2	श्री ललित सिंह	लेखाकार	10717	–	
3	श्री कमल सिंह दुबडिया	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	8000	–	
4	श्री रोहित फोर	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	15000	–	
5	श्री अजय चौकडायत	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	15000	–	
6	श्री अंकुर कुमार	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	15000	–	
7	श्री अजय देवनाथ	ब्लाक तकनीकी प्रबंधक	15000	–	

कार्यालय–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट

क0सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	सर्वश्री हिमांशु जोशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	63100	19561	
2	श्री आशुतोष सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–1	69000	21390	
3	श्री मनीष चन्द्र नरियाल	स0कृ0अ0 वर्ग–1	50500	15655	
4	श्री जयवीर सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–1	69000	21390	
5	श्री प्रेम सिंह कोटलिया	स0कृ0अ0 वर्ग–2	69000	21390	

6	श्री केशव दत्त पालीवाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	69000	21390	शासनादेश संख्या– 290/XXVII/(7)/2016 दिनांक 28.12.2016 एवं समय–समय पर जारी
7	श्री बहादुर सिंह नयाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	69000	21390	
8	श्री महेन्द्र साह	प्रधान सहायक	39000	12369	
9	श्री दीपक चन्द्र तिवारी	वरिष्ठ सहायक	28400	8804	
10	श्री चौथी प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	41600	12896	
11	श्री आशुतोष गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	26800	8804	
12	श्री अंशु गुप्ता	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
13	श्री सुरजीत सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
14	श्री राना सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
15	श्री पारस शर्मा	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
16	श्री कुन्दन सिंह मनोला	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
17	श्री विद्या सागर	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
18	श्री विजय शर्मा	स0कृ0अ0 वर्ग–3	28700	8897	
19	श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग–3	25500	7905	
20	श्री तेज प्रकाश	स0कृ0अ0 वर्ग–3	25500	7905	
21	श्री मनम चौहान	स0कृ0अ0 वर्ग–3	25500	7905	
22	श्री विशाल कुमार	स0कृ0अ0 वर्ग–3	25500	7905	
23	कु0 साक्षी पाण्डेय	स0कृ0अ0 वर्ग–3	25500	7905	
24	श्री आनंद सिंह	चतुर्थ श्रेणी	29700	9207	
25	श्री राजेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	24200	7502	

(सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितर्णो पर रिर्पोट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार प्राप्त बजट का विवरण निम्नानुसार हैं तथा इस जनपद को विभिन्न योजनाओं में आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम् से भी बजट प्राप्त हुआ हैं।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत। वर्ष 2021–22 सामान्य अधिष्ठान अन्तर्गत, व्यय, अवशेष विवरण

क0 सं0	योजना/मद का नाम	कुल आवंटन	कुल व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति
कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान (2401–00–001–04–00)					
1	04–यात्रा व्यय	15000.00	5970.00	9030.00	कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
2	08–पारिश्रमिक	1104378.00	1104378.00	0.00	
3	20–लेखन सामग्री	40000.00	40000.00	0.00	
4	22–कार्यालय व्यय	50000.00	50000.00	0.00	
5	24–विज्ञापन	15000.00	14732.00	268.00	
6	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.00	0.00	0.00	
7	26–कम्प्यूटर अनुरक्षण	13000.00	13000.00	0.00	
8	27–व्यावसायिक सेवा	15000.00	12000.00	3000.00	
9	29–वाहन अनुरक्षण	30000.00	30000.00	0.00	
10	40–मशीन उपकरण	55000.00	55000.00	0.00	
11	04–यात्रा व्यय	10000.00	8150.00	1850.00	प्रयोगशाला संचालन
12	20–लेखन सामग्री	6000.00	6000.00	0.00	
13	21–फर्नीचर	7000.00	7000.00	0.00	
14	22–कार्यालय व्यय	25000.00	25000.00	0.00	
15	40–मशीन उपकरण	10000.00	10000.00	0.00	
16	42–अन्य व्यय	10000.00	10000.00	0.00	
17	20–लेखन सामग्री	30000.00	30000.00	0.00	किसान सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
18	21–फर्नीचर	25000.00	25000.00	0.00	

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियों विभाग द्वारा संचालित /सम्पादित योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021–22

क्र0 स0	मद का नाम	प्रस्तावित बजट लाख रू0	स्वीकृत बजट लाख रू0	अवमुक्त धनराशि लाख रू0	वर्ष में कुल व्यय धन0 लाख रू0 में।
	जिला योजना				
1.	पौध सुरक्षा कार्यक्रम	6.00	6.00	6.00	6.00
	बीज मिनीकिट	5.00	5.00	5.00	5.00
	पवर वीडर/पावर टीलर	25.00	25.00	25.00	25.00
	अन्य व्यय	32.00	32.00	32.00	32.00
	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	4.00	4.00	4.00	4.00
	मृदा परीक्षण	0.50	0.50	0.50	0.50
कुल		**72.50**	**72.50**	**72.50**	**72.50**
	राज्य योजना				
2.	1. कृषि निवेश भण्डार का सुदृढीकरण की योजना	0.55	0.55	0.55	0.55
	2. प्रयोगशाला संचालन	1.98	1.98	1.98	1.98
	3. अनुसूचित जाति/जनजाति	30.90	30.90	30.90	30.90
	4. जलपम्प, पालीहाउस	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल					
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	1. जैविक कृषि कार्यक्रम	38.12	38.12	28.00	22.16
	2. भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रो में मृदा संरक्षण कार्यक्रम				
	3. कृषि यंत्रीकरण				
	4. फसलोत्पादन धान	45.96	45.96	6.48	6.42
	5. आई0पी0एम0				
	6. मृदा हैल्थ कार्ड				

	7. कृषक महोत्सव खरीफ				
	8. कृषक महोत्सव रबी				
	8. घेरबाढ कार्यक्रम	65.00	65.00	65.00	65.00
	9. एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम				
	कुल				
4.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	39.24	39.24	17.15	16.45
5.	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन				
6.	बी0ए0डी0पी0				
7.	राष्ट्रीय ऑयल सीड एण्ड ऑयल पाम मिशन				
8.	बीज ग्राम योजना (एस0एम0एस0पी0)				
9.	सब मिशन ऑफ एग्री मेकनाइजेशन	130.31	130.31	130.31	130.31
10.	दैवीय आपदा				
11.	आतमा योजना	101.47	101.47	57.30	57.06
12.	स्वास्थ्य हैल्थ कार्ड योजना	2.98	2.98	2.98	2.16
13.	प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना				
14.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	173.48	173.48	173.48	173.48

मैनुअल–12 ::–

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

वर्तमान में समस्त योजनाओं में कार्य संचालित हैं जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की सूची प्राप्त होगी जो निदेशालय को प्रेषित कर दी जायेगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय में रक्षित रहेगी। तथा योजनानुसार ही कार्य किया जायेगा।

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण–

1– लघु सीमान्त कृषक–5 एकड़ से कम जोत वाले कृषकों को ही अनुदान, बीज वितरण, कीटनाशक में अनुदान।
2– सामान्य/अनु0जति/जन जातिः–19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामान्य जाति।
3– किसी विशेष प्रोगाम पर उच्चधिकरियों एवं कार्य योजना के आधार पर।

–:: मैनुअल–13 ::–

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

1– कार्यक्रम का नाम– बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र निर्गमन।
2– प्रकार – अनुज्ञापत्र।
3– उद्देश्य– कृषकों को उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता।
4– लक्ष्य (विगत वर्षो में)– शून्य
5– पात्रता– बीज निबन्धन हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम उर्त्तीण उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु बी0एस0–सी0 कृषि अथवा बी0एस0–सी0 रसायन विज्ञान या एक वर्षीय कृषि डिप्लोमा से सम्बन्धित कार्यो में रूचि रखता हो।
6– पात्रता का आधार– पूर्व अनुभव, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी हो।
7– पूर्व अपेक्षाए– अनुभव का विस्तार।
8– प्राप्त करने की प्रकिया– कीटनाशी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा प्रारूप 6 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। मद 0401008001400 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपया 1500/– एवं शहरी क्षेत्र हेतु रु0–7500/–कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं रसायन आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, कीटनाशी भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र, सम्बन्धित विकासखण्ड स्थित प्रभारी कृषि रक्षा इकाई की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप 8 में अनुज्ञाप पत्र निर्गत किया जाता है।

उर्वरक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यवसायी को प्रारूप ए–1, में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। मद 0401008001400 में रूपया 627.00 कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं उर्वरक आपूर्तिकर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, विक्रय स्थल का मानचित्र सम्बन्धित खण्ड विकास

अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी, की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप बी, में अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है।

9– निर्धारित समय सीमा – पत्रावली पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर।

10– आवेदन शुल्क–कीटनाशी विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क रूपया 1500 ग्रामीण रु0–7500 शहरी क्षेत्र के लिए)।

उर्वरक अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 627.00 समस्त के लिए

बीज अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 50.00 समस्त के लिए

11– आवेदन पत्र का प्रारूप–कीटनाशी हेतु प्रारूप V।

उर्वरक हेतु – प्रारूप ए–1

बीज हेतु – प्रारुप–ए (प्रतीक क)

12– संलग्नको की सूची–

- लाइसैन्स शुल्क चालान की मूल प्रति
- आपूर्ति कर्ता फर्मो के अधिकार पत्र
- भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र।
- सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी/सहायक कृषि रक्षा अधिकारी की संस्तुति ।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि हो।

13– संलग्नको का प्रारूप –विभिन्न निर्धारित प्रारूप।

14– प्राप्ति कर्ताओ की सूची –सूची संलग्न है–

1. लाभाथियों की सूची–

बीज विक्रेताओं की सूचना प्रारूप

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	बीज विक्रेता का नाम	बीज बिक्री केन्द्र का नाम एवं पूर्ण पता	बीज अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि	अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र वैधता समाप्ति की तिथि	बीज बिक्री केन्द्र का प्रकार (कृषि विभाग/सहकारी/टी0डी0सी0/एन0एस0सी0/कृभको/नैफेड/इफको/निजी/अन्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, सिप्टी	सिप्टी	CHCO-61/ 01.04.2018	31.03.2021	निजी
2	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, टनकपुर	टनकपुर	CHCO-01/ 15.05.2018	14.05.2021	निजी

3	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, बनबसा	बनबसा, टनकपुर	CHCO-03/ 15.05.2018	14.05.2021	निजी
4	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, धूरा	धूरा	CHCO-04/ 01.04.2018	31.03.2021	निजी
5	लोहाघाट	बहु0डुमडाई सा0स0समि0 लि0 डुमडाई	डुमडाई	CHCO-69/ 01.04.2018	31.03.2021	निजी
6	लोहाघाट	दिलागी चौड, सा0स0समि0 दिगालीचौड़	दिगालीचौड़	CHCO-68/ 01.04.2018	31.03.2021	निजी
7	चम्पावत	बहु0सा0स0समि0 लि0, चम्पावत	चम्पावत	CHCO-60 /01.04.2018	31.03.2021	निजी
8	लोहाघाट	बहु0धरमधर सा0स0समि0 लि0, धरमघर	धरमघर	CHCO-59/ 01-04-2018	31.03.2021	निजी
9	चम्पावत	कोट अमोड़ी बहु0सा0स0समि0 लि0 अमोड़ी	अमोड़ी	CHCO-66/ 01-04-2018	31.03.2021	निजी
10	लोहाघाट	बहु0 चानमारी सा0स0समि0 चानमारी	चानमारी	CHCO-58/ 01.04.2018	31.03.2021	निजी
11	पाटी	बहु0 देवीधूरा सा0स0समि0 देवीधूरा	देवीधूरा	CHCO-63/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी
12	लोहाघाट	खतेडा सा0स0समि0लि0, खतेडा	खतेडा	CHCO-67/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी
13	पाटी	बहु0सा0स0समि0 चौडामेहता	चौडामेहता	CHCO-70/ 01.08.2018	31.03.2021	सहकारी
14	पाटी	बहु0 बांजगॉव सा0स0समि0 बांजगॉव	बांजगॉव	CHCO-64/ 01.04.2018	31.07.2021	सहकारी
15	पाटी	सा0स0समि0 सिमिया	सिमिया	CHCO-24/ 05.02.2019	04.01.2022	सहकारी
16	पाटी	सा0स0समि0 गोशनी	गोशनी	CHCO-52/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी

निजी लाईसेंस धारी रसायन एवं बीज विक्रेताओं की सूची

क0सं0	डीलर/फर्म का नाम	लाइसेंस का प्रकार	मोबाईल नम्बर	डीलर का नाम
1	पुनेठा एग्रो स्टोर–नायकगोठ टनकपुर	कृषि रक्षा रसायन/बीज	7351073449	श्री सुनील पुनेठा
2	पन्त एग्रो ट्रेडर्स, गुदमी, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	8006590898	श्री सूरज पंत
3	अनिल खाद एवं बीज भण्डार, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9760048541	श्री अनिल गुप्ता
4	तनवी सीड स्टोर, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9897648541	श्री सुरेश गुप्ता
5	रितेश फर्टिलाईजर, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9997286080	श्री रितेश उप्रेती
6	के0जी0एन0सीड स्टोर, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9760620925	मौ0 शफी
7	बाथम बीज भण्डार, बनबसा	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9897728528	श्री नेतराम बाथम
8	मॉ पूर्णागिरी एग्रो ट्रेडर्स, टनकपुर	कृषि रक्षा रसायन/बीज	9997587949	श्री उमेश चन्द्र
9	जय किसान भण्डार, लोहाघाट	बीज	9411309014	श्री शैलेश्वर पुनेठा
10	चंचला बीज भण्डार, चम्पावत	बीज	9917341209	श्री कैलाश अधिकारी
11	पी0आर0इन्टर प्राइसेस बननसा	कृषि रक्षा/बीज	–	श्री चन्द्रशेखर उप्रेती
12	आदित्य बीज भण्डार, लोहाघाट	बीज	–	श्री राजेन्द्र कुमार राय
13	उत्तराखण्ड बीज भण्डार, टनकपुर	बीज	–	श्री केन्द्रीक भट्ट
14	किसान बीज भण्डार, टनकपुर	बीज	–	मो0हासिम
15	गहतोड़ी कृषि रक्षा सेवा केन्द्र, पाटी	कृषि रक्षा	–	श्री पंकज जोशी
16	महाकाल कृषि सेवा केन्द्र	कृषि रक्षा	–	श्री सुधांशु यादव
17	गोल्ज्यू ट्रेडर्स, चम्पावत	बीज	–	श्री राजीव उप्रेती

शिकायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

कृषि रक्षा

कार्यक्रम का नामः– आवेदकों को कीटनाशी लाइसेन्स निर्गत करना।

प्रकारः– अनुज्ञापत्र।

उददेश्यः– क्षेत्रीय कृषकों को अपने फसलों/सबिजयों आदि के कीट/रोग नियंत्रण हेतु सुगमता पूर्वक निकटस्थ स्थान पर रसायनों की प्राप्ति कराना।

लक्ष्यः– लक्ष्य निर्धारित नही होता है।

पात्रताः– आवेदक को शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि रसायन के पम्पलेट में दिये हुए संस्तुति एवं निर्देशानुसार रसायनों का प्रयोग करा सके।

प्राप्त करने की प्रकियाः– आवेदक को फार्म–6 के निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र के साथ–साथ फर्मो के अधिकार पत्र जिन रसायनों की बिक्री करना चाहते है। दुकान का नक्शा जहॉ दुकान खोलना चाहते हो, अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों के साथ प्रार्थना पत्र मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

रियायत अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमाः–

दो कलैण्डर वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है तथा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त पुनः दो–दो वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

आवेदन शुल्कः– सभी रसायनों हेतु रू0 300.00 दो वर्ष के लिए पुनः नवीनीकरण में रू0 300.00 प्रत्येक दो वर्ष हेतु प्रति रसायन रू0 20.00 पुनः नवीनीकरण में रू0 20.00 रसायन।

आवेदन पत्र का प्रारूपः– फार्म–6, फर्मो के अधिकार पत्र, भवन का नक्शा जहॉ दुकान खोलना चाहते है, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्राप्तिकर्ताओं की सूचीः–
लाईसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं की सूची

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	उर्वरक विक्रेता का नाम	उर्वरक बिक्री केन्द्र का नाम एवं पूर्ण पता	उर्वरक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि	अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र वैधता समाप्ति की तिथि	उर्वरक बिक्री केन्द्र का प्रकार (कृषि विभाग/सहकारी / इफको/ निजी/अन्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, सिप्टी	सिप्टी	SCOC-39/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी/इफको
2	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, टनकपुर	टनकपुर	SCOC-01/ 15.05.2018	14.05.2021	सहकारी/इफको
3	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, बनबसा	बनबसा, टनकपुर	SCOC-02/ 15.05.2018	15.05.2021	सहकारी/इफको
4	चम्पावत	साधन सहकारी समिति, धूरा	धूरा	SCOC-03/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी/इफको
5	लोहाघाट	बहु0डुमडाई सा0स0समि0 लि0 डुमडाई	डुमडाई	SCOC-44/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी/इफको
6	लोहाघाट	दिलागी चौड, सा0स0समि0 दिगालीचौड़	दिगालीचौड़	SCOC-43/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी/इफको
7	चम्पावत	बहु0सा0स0समि0 लि0, चम्पावत	चम्पावत	SCOC-38 /01.04.2018	31.03.2021	सहकारी/इफको
8	लोहाघाट	बहु0धरमधर	धरमघर	SCOC-37/ 01-04-2018	31.03.2021	सहकारी/इफको

		सा0स0समि0 लि0, धरमघर				
9	चम्पावत	कोट अमोड़ी बहु0सा0स0समि0 लि0 अमोड़ी	अमोड़ी	SCOC-41/ 01-04-2018	31.03.2021	सहकारी / इफको
10	लोहाघाट	बहु0 चानमारी सा0स0समि0 चानमारी	चानमारी	SCOC-36/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी / इफको
11	पाटी	बहु0 देवीधूरा सा0स0समि0 देवीधूरा	देवीधूरा	SCOC-40/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी / इफको
12	लोहाघाट	खतेडा सा0स0समि0लि0, खतेडा	खतेडा	SCOC-42/ 01.04.2018	31.03.2021	सहकारी / इफको
13	पाटी	बहु0सा0स0समि0 चौडामेहता	चौडामेहता	SCOC-46/ 01.08.2018	31.07.2021	सहकारी / इफको
14	पाटी	बहु0 बांजगॉव सा0स0समि0 बांजगॉव	बांजगॉव	SCOC-47/ 01.08.2018	31.07.2021	सहकारी / इफको
15	पाटी	सा0स0समि0 सिमिया	सिमिया	SCOC-24/ 05.02.2019	04.01.2022	सहकारी / इफको
16	पाटी	सा0स0समि0 गोषनी	गोशनी	SCOC-25/ 26.05.2018	25.04.2021	सहकारी / इफको
17	पाटी	सचिव, सा0स0समि0 रौलमेल	रौलमेल	CHCO-63/ 24.07.2018	23.07.2021	सहकारी / इफको
18	पाटी	सचिव, सा0स0समि0 दूबड	दूबड	SCOC-26/ 12.05.2019	11.05.2022	सहकारी / इफको

–:: मैनुअल–14 ::–

(किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों)

जनपद चम्पावत में जनपद सृजन से अभी तक के अभिलेख कार्यालय भण्डार में रक्षित हैं जिसका अधिक से अधिक इलैक्ट्रोनिक स्वरूप तैयार किया गया हैं जिन अभिलेखों का इलैक्ट्रोनिक स्वरूप तैयार नहीं हो सकता वह अपने मूल रूप में कार्यालय में उपलब्ध हैं।

–:: मैनुअल–15 ::–

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत विकास भवन में स्थित हैं। मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत, अपीलीय अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

(कार्यालय–मु0कृ0अ0 चम्पावत एवं कृषि एंव भूमि संरक्षण लोहाघाट कार्यालय) के लोक सूचना अधिकारी भी हैं। कार्यालय प्रत्येक कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता हैं।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय की स्थिति	अभ्युकित
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	श्री रमेश सिंह बोरा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी	कार्यालय–मुख्य कषि अधिकारी, विकास भवन चम्पावत।	
2	कृषि विभाग	श्री हिमांशु जोशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट/लोक सूचना अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट, चम्पावत।	
3	कृषि विभाग	श्री गोपाल सिंह भण्डारी	अपीलीय अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।	–

15.1:– सूचनाओ को जनता तक पहुॅचाने के लिए की गयी व्यवस्था का विवरणः–

1– गोष्ठी–जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत, ग्राम स्तर तक साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में गोष्ठियों द्वारा।

2– अखबारों द्वाराः–विभिन्न कार्यक्रमों की निशुल्क जानकारी अखबारो द्वारा दी जाती है।

3– जिले में लगने वाले विभिन्न मेलों द्वारा।

4– पम्पलेट, लीफलैट, बुकलेट प्रकाशित कर कृषकों को निशुल्क वितरित किया जाना, आदि।

–:: मैनुअल–16 ::–

(लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण

न्याय पंचायत स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का विवरण।

क्र0 सं0	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम व तैनाती स्थल	अपीलीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरजीत सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, सिमियाउरी	श्री राना सिंह, विकासखण्ड प्रभारी, चम्पावत 9301481084	विकासखण्ड प्रभारी अपने विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी	7088988146
2	श्री सुरजीत सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, दूबडजैनल			7088988146
3	श्री अंशु गुप्ता	न्याय पंचायत प्रभारी,			7037751000

		स्वाला		न्याय पंचायतों	
4	श्री राना सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, बमनजौल		हेतु	9301481084
5	कु0 साक्षी पाण्डेय	न्याय पंचायत प्रभारी, खर्ककार्की			9760765336
6	कु0 साक्षी पाण्डेय	न्याय पंचायत प्रभारी, सिमल्टा			9760765336
7	श्री राना सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, सिप्टी			9301481084
8	श्री अंशु गुप्ता	न्याय पंचायत प्रभारी, मोहनपुर			7037751000
9	श्री विद्यासागर	न्याय पंचायत प्रभारी, कोलीढ़ेक	श्री प्रेम सिंह कोटलिया, विकासखण्ड प्रभारी, लोहाघाट 9412097182	विकासखण्ड प्रभारी अपने विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी न्याय पंचायतों हेतु	9458120690
10	श्री तेज प्रकाश	न्याय पंचायत प्रभारी, डुमडई			7500697003
11	श्री पारश शर्मा	न्याय पंचायत प्रभारी, भुमलाई			9627185638
12	श्री तेज प्रकाश	न्याय पंचायत प्रभार, किमतोली			7500697003
13	श्री पारश शर्मा	न्याय पंचायत प्रभार, रौशाल			9627185638
14	श्री मनन चौहान	न्याय पंचायत प्रभारी, ढोरजा			9837194524
15	श्री विद्यासागर	न्याय पंचायत प्रभारी, बसकुनी			9458120690
16	श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, चौडामेहता	श्री मनीष चन्द्र नरियाल, विकासखण्ड प्रभारी, पाटी 8477848758	विकासखण्ड प्रभारी अपने विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी न्याय पंचायतों हेतु	8057208323
17	श्री बहादुर सिंह नयाल	न्याय पंचायत प्रभारी, देवीधूरा			9410175236
18	श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, चौडाकोट			8057208323
19	श्री विशाल कुमार	न्याय पंचायत प्रभारी, कमलेख			9719204829
20	श्री आशुतोष सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, रौलमेल			9411315494
21	श्री केशव दत्त पालीवाल	न्याय पंचायत प्रभारी, वल्सों	श्री केशव दत्त पालीवाल, विकासखण्ड प्रभारी, बाराकोट 9410953477	विकासखण्ड प्रभारी अपने विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी	9410953477
22	श्री विजय शर्मा	न्याय पंचायत प्रभारी, रैघाव			9045151131
23	श्री विजय शर्मा	न्याय पंचायत प्रभारी,			9045151131

		बाराकोट		न्याय पंचायतों हेतु	
24	श्री कुन्दन सिंह	न्याय पंचायत प्रभारी, वापरू			8192837040

विकासखण्ड स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का विवरण

क0 सं0	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम व तैनाती स्थल	अपीलीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6
1	श्री राना सिंह	विकासखण्ड प्रभारी, चम्पावत	श्री हिमाशु जोशी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, लोहाघाट, 7579035374	जनपद के समस्त विकासखण्डों हेतु	9301481084
2	श्री प्रेम सिंह कोटलिया	विकासखण्ड प्रभारी, लोहाघाट			9412097182
3	श्री केशव दत्त पालीवाल	विकासखण्ड प्रभारी, बाराकोट			9410953477
4	श्री मनीष चन्द्र नरियाल	विकासखण्ड प्रभारी, पाटी			8477848758

इकाई/जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का विवरण

क0 सं0	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम व तैनाती स्थल	अपीलीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6
1	श्री रमेश सिंह बोरा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	श्री गोपाल सिंह भण्डारी 9412922856 05965–230952	जनपद स्तर के समस्त कृषि कार्यों की सूचना	9411579213
2	श्री हिमांशु जोशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी			7579035374

–:: मैनुअल–17 ::–

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायं)

इस अधिष्ठान में मैनुअल संख्या– 01 से 16 तक अध्यावधिक रूप से तैयार किये गये हैं जिसमें अधिक से अधिक विभागीय देय सुविधाओं/योजनाओं आदि का उल्लेख पूर्ण सावधानी से किया गया हैं तथा विभाग अन्य किसी भी राजकीय ढ़ाचें, व्यवस्था के त्वरित बदलाव के साथ–साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

ह0

(गोपाल सिंह भण्डारी)
मुख्य कृषि अधिकारी
चम्पावत।